अध्याय–II
राज्य का वित्त

अध्याय–II राज्य का वित्त

2.1 परिचय

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विगत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2019–20 से 2023–24 तक के पाँच वर्ष की अवधि में राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेन–देनों का विश्लेषण करता है।

2.2 2022–23 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के प्रमुख राजकोषीय संग्रह में बड़े बदलावों को **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2022–23 की तुलना में 2023–24 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य के स्व–कर प्राप्तियों में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व–गैरकर प्राप्तियों में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 18.95 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत की कमी।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.80 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 21.40 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 218.18 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत प्राप्तियाँ	✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 131.24 प्रतिशत की वृद्धि।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 74.03 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 17.31 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋणों एवं अग्रिमों	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 3.85 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 131.24 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 60.12 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 8.93 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	✓ विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 में नकद शेष में ₹ 79.22 करोड़ (9.83 प्रतिशत) की कमी।

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

विगत वर्ष के साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना **तालिका 2.2** में दी गई है।

तालिका 2.2: 2022–23 और 2023–24 में निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरणी		2022–23	2023–24	वृद्धि / कमी	वृद्धि / कमी प्रतिशतता में
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	29,479	22,904	(–) 6,575	(–) 22
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,72,688	1,93,347	20,659	12
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	41	96	55	134
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	33,932	37,238	3,306	10
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	4,316	12,500	8,184	190
	कुल	**2,40,456**	**2,66,085**	**25,629**	**11**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,83,976	1,90,514	6,538	4
	पूँजीगत व्यय	31,520	36,453	4,933	16
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	2,056	2,136	80	4
	अंतिम नकद शेष	22,904	36,982	14,078	61
	कुल	**2,40,456**	**2,66,085**	**25,629**	**11**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

वर्ष 2023–24 में, निधियों का अनुप्रयोग[1] (₹ 2,29,103 करोड़) निधियों के स्रोतों[2] (₹ 1,93,443 करोड़) से अधिक था, जो इंगित करता है कि सरकार उपलब्ध निधियों के माध्यम से अपने व्यय को पूरा करने में असमर्थ था। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को 2023–24 में लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 24.72 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 48,283.52 करोड़ से ₹ 60,217.54 करोड़) करनी पड़ी। चालू वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष में राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों का समग्र वित्तीय स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

चार्ट 2.1 वर्ष 2023–24 में राज्य की समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 2.1 संसाधनों / अनुप्रयोगों की संरचना

संसाधनों की संरचना **संसाधनों का अनुप्रयोग**

(प्रतिशत में)

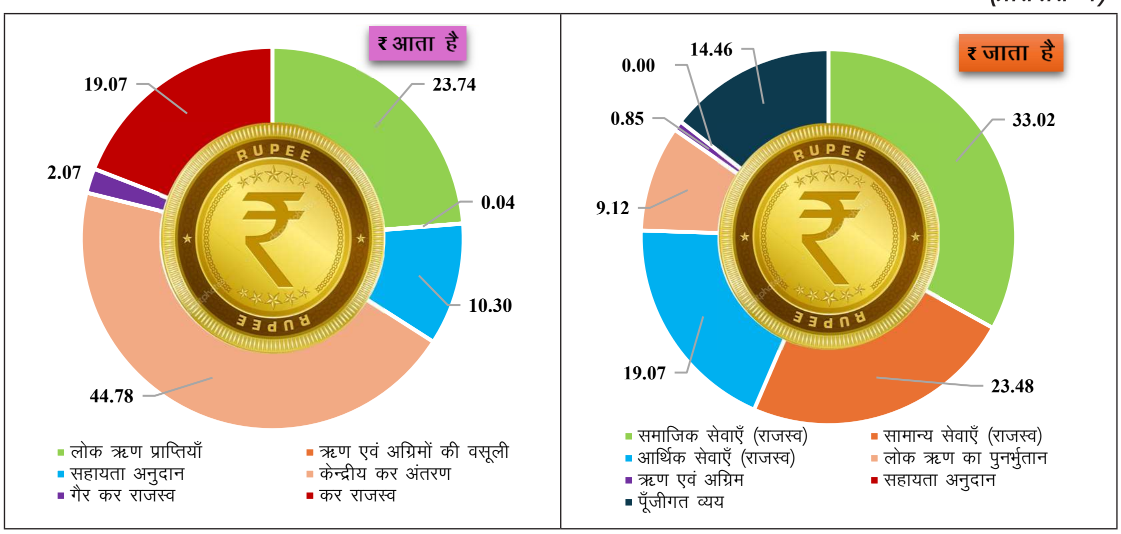

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

---

1 निधि का अनुप्रयोग : राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण

2 निधि के स्रोत : राजस्व प्राप्ति + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

संसाधनों के अनुप्रयोग का 9.12 प्रतिशत लोक ऋण के पुनर्भुगतान का हिस्सा था और विगत वर्ष के हिस्से (6.19 प्रतिशत) से अधिक था। दूसरी ओर संसाधनों की स्रोत में लोक ऋण का हिस्सा (23.74 प्रतिशत) भी विगत वर्ष के हिस्से (21.85 प्रतिशत) से अधिक था। विगत वर्ष के हिस्से (19.92 प्रतिशत) से कर राजस्व का हिस्सा (19.07 प्रतिशत) थोड़ा कम हो गया, जबकि गैर–कर राजस्व (2.07 प्रतिशत) विगत वर्ष के 1.87 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक हो गया। विगत वर्ष (43.21 प्रतिशत) की तुलना में केंद्रीय कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी (44.78 प्रतिशत) भी बढ़ी है। सहायता अनुदान (10.30 प्रतिशत) का योगदान विगत वर्ष (13.13 प्रतिशत) से कम हो गया है। केन्द्रीय कर अंतरण का उच्चतर हिस्सा और राज्य के संसाधनों में लोक ऋण प्राप्तियों का उच्चतर हिस्सा यह संकेत देता है कि केन्द्रीय अंतरणों और ऋण पर निर्भरता को कम करने के लिए स्व–राजस्व को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाया जाना है।

संसाधनों के अनुप्रयोग में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा विगत वर्ष के 79.34 प्रतिशत से घटकर 75.58 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, समग्र संवितरण में पूँजीगत व्यय का हिस्सा विगत वर्ष के 13.59 प्रतिशत से बढ़कर 14.46 प्रतिशत हो गया।

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर–कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों (ऋण और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

   राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.4.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह खण्ड समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों के अलावा लोक लेखे में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2023–24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)

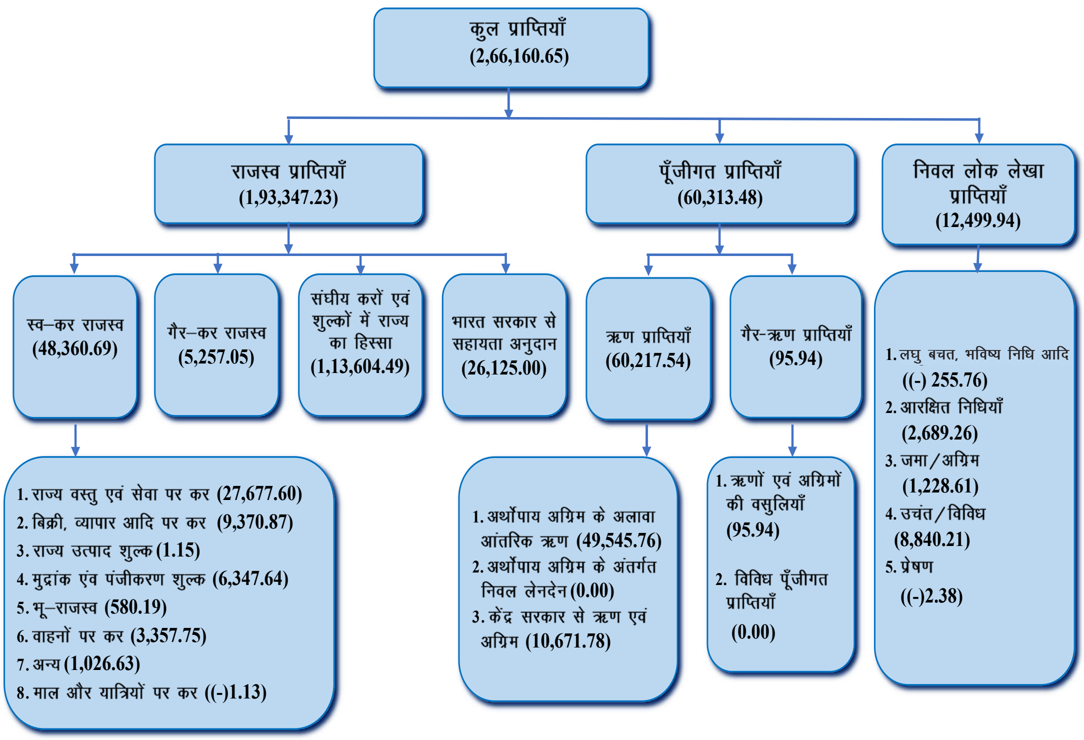

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ और निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों का क्रमशः 72.64 प्रतिशत, 22.66 प्रतिशत और 4.70 प्रतिशत थीं। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का योगदान विगत वर्ष 76.64 प्रतिशत से घटकर 72.64 प्रतिशत हो गया। पूँजीगत प्राप्तियाँ विगत वर्ष 21.45 प्रतिशत से बढ़कर 22.66 प्रतिशत हो गया। निवल लोक लेखा प्राप्तियों की हिस्सेदारी ने विगत वर्ष की तुलना में कुल प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, अर्थात् 2022–23 में 1.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.70 प्रतिशत हो गई।

2.4.2 राजस्व प्राप्तियाँ

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व प्राप्तियाँ (आर0 आर0)	**1,24,233**	**1,28,168**	**1,58,798**	**1,72,688**	**1,93,347**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–) 5.74	3.17	23.90	8.75	11.96
स्व–कर राजस्व	30,158	30,342	34,855	44,018	48,361
गैर–कर राजस्व	3,700	6,201	3,984	4,135	5,257
कुल स्व–राजस्व (स्व–कर राजस्व + गैर–कर राजस्व)	**33,858**	**36,543**	**38,839**	**48,153**	**53,618**
सहायता अनुदान	**26,969**	**31,764**	**28,606**	**29,025**	**26,125**
संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**63,406**	**59,861**	**91,353**	**95,510**	**1,13,604**
स्व–राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.95	7.93	6.28	23.98	11.35
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.40	17.78	(–) 9.94	1.46	(–) 9.99
स्व–कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.55	0.61	14.87	26.29	9.87

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	**5,81,855**	**5,67,814**	**6,47,394**	**7,46,417**	**8,54,429**
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(–) 2.41	14.02	15.30	14.47
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	21.35	22.57	24.53	23.14	22.63
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता[4]	*	*	1.70	0.57	0.83
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य की स्व–राजस्व उत्प्लावकता	0.09	*	0.45	1.57	0.78
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष स्व–कर राजस्व उत्प्लावकता	0.25	*	1.06	1.72	0.68

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)
*** घटक में नकारात्मक वृद्धि के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की जा सकी***

जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2023–24 में बढ़कर 0.83 हो गया। जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राज्य की स्व–राजस्व उत्प्लावकता भी 2019–20 में 0.09 से बढ़कर 2023–24 में 0.78 हो गया। इसी तरह, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष स्व–कर राजस्व उत्प्लावकता भी 2019–20 के 0.25 से बढ़कर 2023–24 में 0.68 हो गया, हालाँकि, यह विगत वर्ष की तुलना में कम हो गया।

आगेः

i. बजट अनुमान (₹ 1,02,737.26 करोड़) से अधिक केन्द्रीय करों के अंतरण के कारण राज्य की राजस्व वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में ₹ 10,867.23 करोड़ अधिक थी जिससे राजस्व उत्प्लावकता विगत वर्ष में 0.57 से बढ़कर 0.83 हो गया। सहायता अनुदान को छोड़कर, विगत वर्ष की तुलना में राजस्व के प्रत्येक घटक में ₹ 2,900 करोड़ की कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में कमी के बावजूद, जी0एस0डी0पी0 की तुलना में राजस्व उत्प्लावकता बढ़ गया।

ii. राज्य की स्व–राजस्व प्राप्तियाँ (ओ0आर0आर0) ₹ 53,618 करोड़ थीं, जो पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 41,957 करोड़) से ₹ 11,661 करोड़ अधिक थीं। यह छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमान (₹ 44,391 करोड़) से भी ₹ 9,227 करोड़ अधिक हो गया। हालाँकि राज्य का ओ0आर0आर0 बजट अनुमान ₹ 56,211.79 करोड़ से ₹ 2,594 करोड़ कम था।

iii. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 72.27 प्रतिशत सहायता अनुदान के साथ केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियाँ थीं, जो विगत वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक (72.12 प्रतिशत) थी। राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक राजस्व केंद्र से आता है, जो दर्शाता है कि राज्य राजस्व प्राप्तियों के लिए भारत सरकार पर बहुत अधिक निर्भर है।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत की कमी आई और यह बजट अनुमानों का केवल 48.94 प्रतिशत था। साथ ही, 2019–20 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सहायता अनुदान में 3.13 प्रतिशत की कमी आई।

राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक–वार) **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

[3] *उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।*

[4] *राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।*

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक–वार)

(₹ करोड़ में)

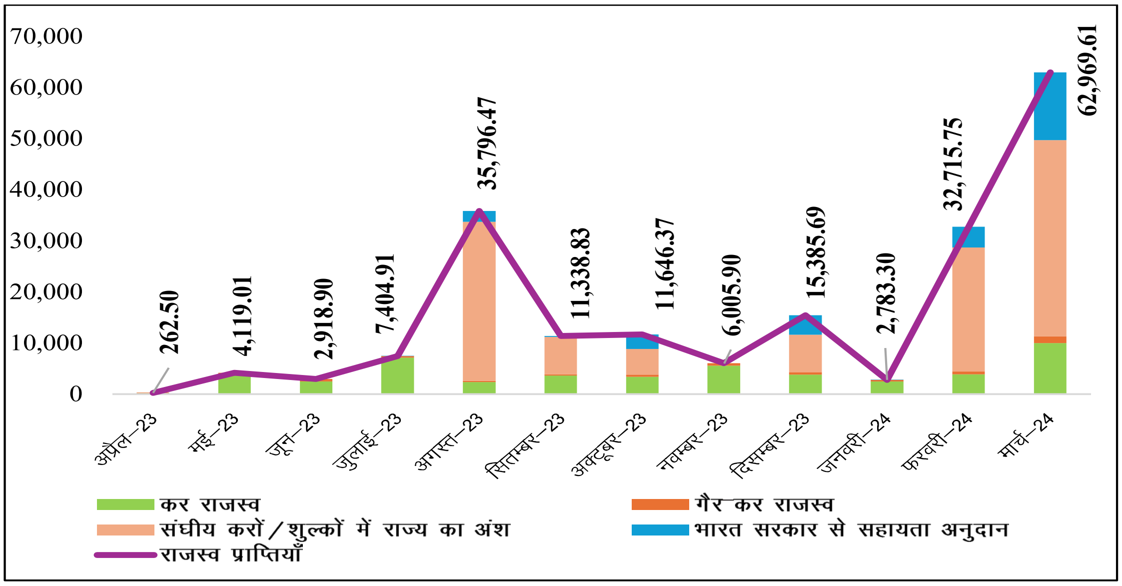

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के बिहार सरकार के मासिक सिविल लेखे)

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,93,347 करोड़ थीं, जिसमें 'संघीय करों की हिस्सेदारी' का सबसे बड़ा योगदान था। केंद्रीय करों की निवल आय मुख्य रूप से अगस्त 2023 (27.40 प्रतिशत) और मार्च 2024 (33.84 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुई। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान का बड़ा हिस्सा मार्च 2024 (50.77 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, इन महीनों में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का पर्याप्त प्रवाह था और शेष वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ नाममात्र की थीं।

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के साथ–साथ, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष इसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के साथ–साथ जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष इसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

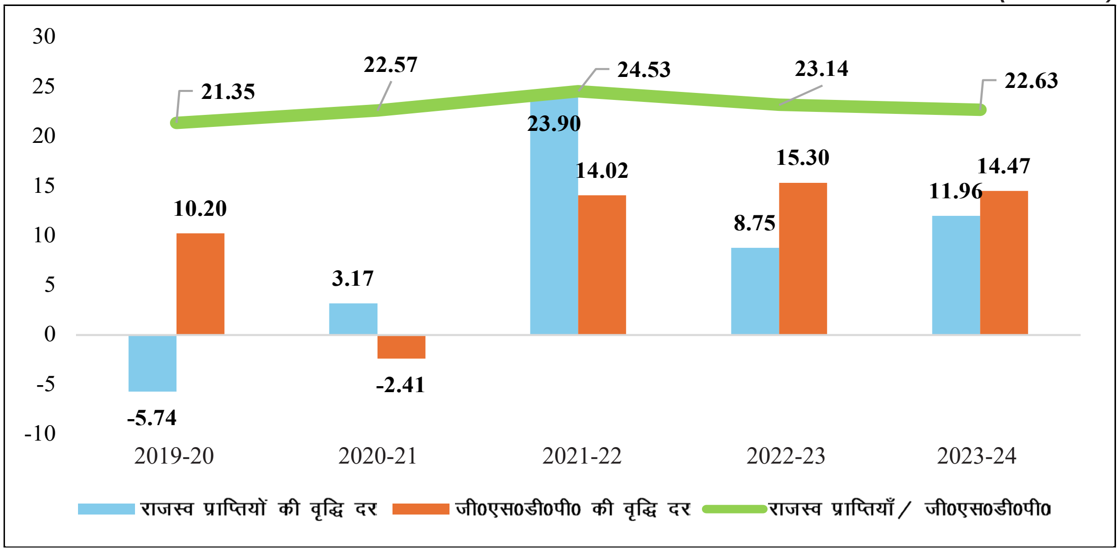

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण/सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ **चार्ट 2.5** में दर्शायी गई हैं।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

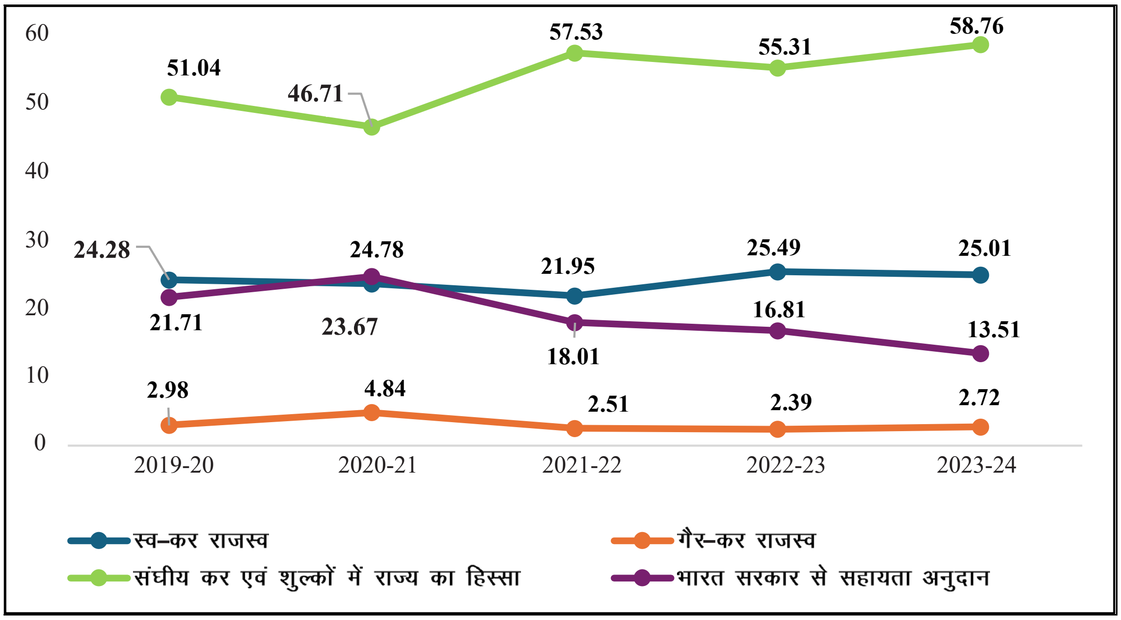

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

i. राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (58.76 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (13.51 प्रतिशत) थे। राज्य के स्व–राजस्व, जो राजस्व प्राप्तियों का 27.73 प्रतिशत है, विगत वर्ष के हिस्से (27.88 प्रतिशत) से मामूली कम हो गयी।

ii. विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 11.96 प्रतिशत (₹ 20,659.21 करोड़) की वृद्धि हुई। राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से, स्व–कर राजस्व और गैर–कर राजस्व के योगदान में क्रमशः 18.95 प्रतिशत (₹ 18,094.64 करोड़), 9.87 प्रतिशत (₹ 4,342.96 करोड़) और 27.14 प्रतिशत (₹ 1,122.15 करोड़) की वृद्धि हुई, हालाँकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.99 प्रतिशत (₹ 2,900.54 करोड़) की कमी आई।

2.4.2.1 राज्य के स्व–संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्व–संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व–कर और गैर–कर स्रोतों से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। राज्य के स्व–कर राजस्व के घटक राज्य जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, भू–राजस्व, बिजली पर कर एवं शुल्क, माल और यात्रियों पर कर आदि हैं। गैर–कर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ जैसे सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों और अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ और नकद शेष का निवेश, इक्विटी निवेशों से लाभांश और लाभ, खनिज, वन और वन्यजीव जैसे अभिरक्षक के रूप में धारित परिसंपत्तियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए रॉयल्टी शुल्क अथवा सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए ऐसी अन्य सेवाएँ और प्रयोक्ता प्रभार शामिल हैं। 2019–24 की अवधि के दौरान स्व–कर/गैर–कर राजस्व के संग्रह का विवरण बाद के कंडिका में विस्तृत है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2023–24 के लिए राज्य का स्व–कर राजस्व ₹ 36,557 करोड़ और गैर–कर राजस्व ₹ 5,400 करोड़ का अनुमान लगाया। छठे राज्य वित्त आयोग ने इस अवधि के लिए कर राजस्व और गैर–कर राजस्व के रूप में क्रमशः ₹ 38,017 करोड ₹ 6,374 करोड़ का अनुमान लगाया।

2019–24 की अवधि के दौरान स्व–कर/गैर–कर राजस्व के संग्रह का विवरण बाद के कंडिका में विस्तृत रूप से किया गया है।

अ. स्व–कर राजस्व

राज्य के स्व–कर राजस्व के घटक राज्य जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, भू–राजस्व, विद्युत पर कर एवं शुल्क, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

2023–24 के दौरान, राज्य का स्व–कर राजस्व ₹ 48,360.69 करोड़ था। 2019–24 की अवधि के दौरान, यह 2019–20 में (₹ 30,158 करोड़) 60.36 प्रतिशत से (₹ 18,203 करोड़) बढ़कर 2023–24 में ₹ 48,360.69 करोड़ हो गया।

राज्य के कुल राजस्व में स्व–कर राजस्व की प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.6: 2019–24 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष स्व–कर राजस्व की प्रवृत्ति

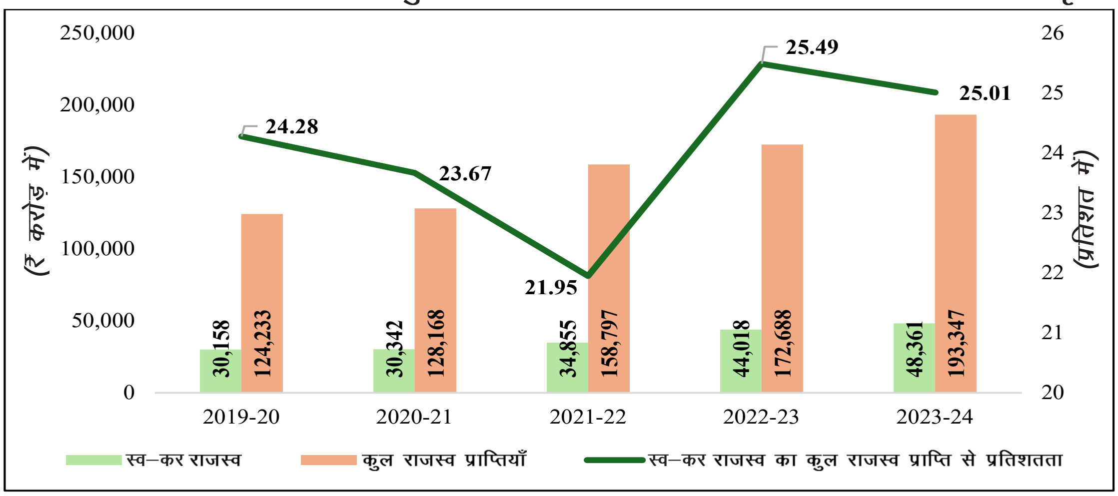

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों में स्व–कर राजस्व का हिस्सा 21.95 प्रतिशत से 25.49 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान स्व–कर राजस्व की हिस्सेदारी घटती प्रवृत्ति पर थी। 2022–23 में, यह प्रवृत्ति सकारात्मक हो गई। हालाँकि, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्व–कर राजस्व में 0.48 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

राज्य के स्व–कर राजस्व के घटक–वार विवरण और प्रवृत्ति **तालिका 2.4** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.4: राज्य के स्व–कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,121	6,032	6,872	9,881	9,371		
एस0जी0एस0टी	15,801	16,050	19,264	23,243	27,677		
राज्य उत्पाद	-4	-4	-1	1	1		
मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क	4,661	4,206	5,224	6,451	6,348		
वाहनों पर कर	2,713	2,268	2,475	2,936	3,358		
भू–राजस्व	275	302	284	361	580		
माल और यात्रियों पर कर	23	6	0	1	-1		
अन्य कर *	568	1,482	737	1,144	1,027		
कुल	**30,158**	**30,342**	**34,855**	**44,018**	**48,361**		

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* *अन्य करों में पेशे, व्यापार, बुलावा और रोजगार पर कर, बिजली पर कर और शुल्क और वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।*

तालिका 2.4 से यह देखा जा सकता है कि:

i. 2020–21 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर घटती प्रवृत्ति में थे। उसके बाद, उन्होंने 2022–23 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में 'केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम' और 'राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्तियों' में क्रमशः ₹ 5.29 करोड़ और ₹ 714.48 करोड़ की कमी के कारण चालू वर्ष में 5.16 प्रतिशत की गिरावट आई। जुलाई 2017 से सभी माल और यात्रियों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर आंशिक कर को जी0एस0टी0 में शामिल कर लिया गया।

ii. 'एस0जी0एस0टी0' का संग्रह साल–दर–साल बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और 2019–20 से 2023–24 तक 75.17 प्रतिशत बढ़ गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 'कर' (लघु शीर्ष 101) के तहत 13.48 प्रतिशत अधिक प्राप्तियों के कारण इसमें 19.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 'आई0जी0एस0टी0–कर घटकों का एस0जी0एस0टी0 में अंतरण' 129.17 प्रतिशत और 'एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस–यूटिलाइजेशन' विगत वर्ष की तुलना में 9.56 प्रतिशत बढ़ा।

iii. अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी राज्य उत्पाद शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व नगण्य है। चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 1.15 करोड़ प्राप्त हुए जो विगत वर्ष की तुलना में 3.94 प्रतिशत कम है।

iv. विगत वर्ष की तुलना में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 1.60 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मुख्य कारण स्टाम्प की बिक्री में ₹ 78.81 करोड़ की कमी थी।

v. वाहनों पर करों में ₹ 422 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम' के तहत प्राप्तियों में ₹ 347.06 करोड़ की वृद्धि है। वाहनों पर करों में ₹ 188.12 करोड़ का 'सड़क सुरक्षा उपकर' भी शामिल है।

vi. विगत वर्षों से 'भू–राजस्व' के तहत निधि संग्रह में 60.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण उपशीर्ष 'भूमि पर दरें और उपकर', भू–राजस्व/कर, पूर्व–जमींदारी संपदाओं के प्रबंधन की प्राप्तियों और सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियों के अंतर्गत राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 90 करोड़, ₹ 35.22 करोड़, ₹ 56.73 करोड़ और ₹ 29.13 करोड़ की वृद्धि होना है।

vii. अन्य करों में ₹ 117 करोड़ (10.23 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण 'विद्युत की खपत और बिक्री पर कर' में ₹ 146.40 करोड़ की कमी तथा 'राज्य को आवंटित निवल प्राप्तियों के हिस्से' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 17.96 करोड़ की कमी आना है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 में राज्य के स्व–कर राजस्व का कुल हिस्सा 5.66 प्रतिशत था। यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में स्व–कर राजस्व में ₹ 4,343 करोड़ की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी ₹ 49,700 करोड़ के बजट लक्ष्य से ₹ 1,339 करोड़ पीछे है। हालाँकि, स्व–कर राजस्व ने पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 2019–24 के दौरान, राज्य के स्व–कर राजस्व और उसकी वृद्धि दर **चार्ट 2.7** में दिखाई गई है।

चार्ट 2.7: 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य के स्व–कर राजस्व में वृद्धि

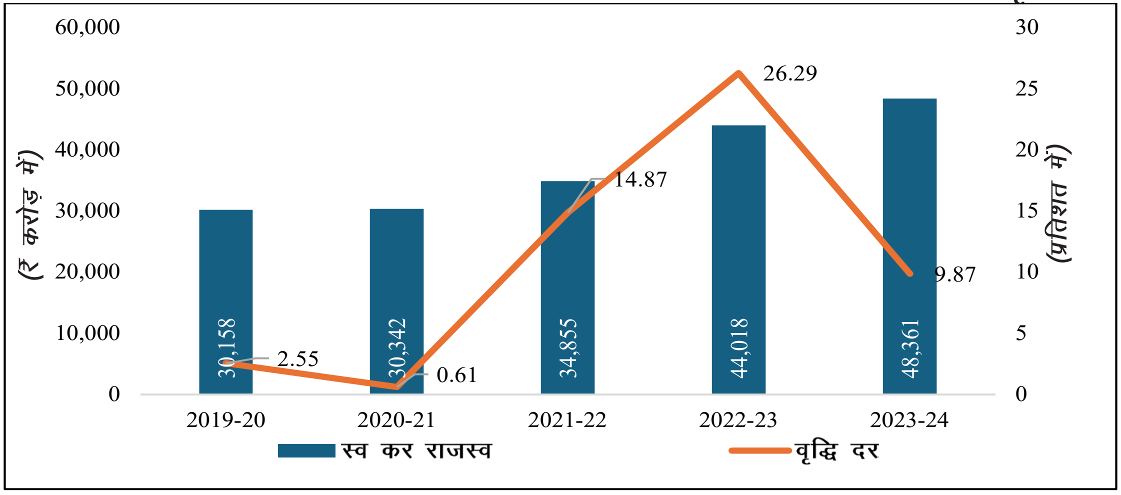

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में स्व–कर राजस्व की वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यह 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर', 'स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क' और 'अन्य करों' स्व–कर राजस्व के घटकों के तहत संग्रह में क्रमशः ₹ 510 करोड़, ₹ 103 करोड़ और ₹ 117 करोड़ की कमी के कारण था। वर्ष 2019–20 की तुलना में 2023–24 में स्व–कर राजस्व की समग्र वृद्धि दर में 60.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चूँकि विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के स्व–कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक राज्य का वस्तु एवं सेवा कर था, इसलिए 2023–24 के बजट अनुमानों और 2022–23 के वास्तविक के मुकाबले 2023–24 में एस0जी0एस0टी0 के घटकों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक प्रवृत्ति **तालिका 2.5** में दिखायी गयी है।

तालिका 2.5: बिहार की राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

एस0जी0एस0टी0	2022–23 के लिए वास्तविक	2023–24 के लिए बजट अनुमान	2023–24 के लिए वास्तविक	2022–23 से अधिक विचलन (प्रतिशत में)	2023–24 के वास्तविक आँकड़ों में बजट अनुमान के साथ भिन्नता (प्रतिशत में)
कर	7,423.21	14,770.00	8,423.88	13.48	57.03
ब्याज	64.23	50.00	63.87	(–) 0.57	127.74
जुर्माना	27.89	50.00	17.05	(–) 38.87	34.10
शुल्क	27.88	21.00	30.11	8.00	143.38
एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन	12,437.32	0.00	13,625.80	9.56	–
आई0जी0एस0टी0 का विभाजन–एस0जी0एस0टी0 के कर घटक का हस्तांतरण	2,551.17	16,220.00	5,846.57	129.17	36.05
आई0जी0एस0टी0 का विभाजन–एस0जी0एस0टी0 के ब्याज घटक में अंतरण	4.08	0.00	4.63	13.62	–
आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम विभाजन	707.07	0.00	(–) 334.80	(–) 147.35	–
अन्य लघु शीर्षों को हस्तांतरण की प्रतीक्षा में रसीदें	(–) 1.10	0.00	0.01	100.69	–
अन्य रसीदें	1.18	0.00	0.48	(–) 59.27	–
कुल	**23,242.93**	**31,111.00**	**27,677.60**	**19.08**	**88.96**

(स्रोतः वित्त लेखे और बिहार सरकार का बजट)

हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में एस0जी0एस0टी0 में ₹ 4,434.67 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन यह ₹ 31,111 करोड़ के बजट अनुमान से कम था। एस0जी0एस0टी0 के प्रमुख घटक 'एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन' के लिए, बजट अनुमानों में

कोई अनुमान तैयार नहीं किया गया। इन अनुमानों को तैयार न होने के कारणों का जवाब वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्रतीक्षित है।

जी0एस0टी0 प्राप्तियाँ

2023–24 के दौरान, राज्य जी0एस0टी0 का संग्रह 2022–23 में ₹ 23,242.93 करोड़ की तुलना में ₹ 27,677.60 करोड़ था, जिसमें ₹ 4,434.67 करोड़ (19.08 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0) के तहत राज्य को सौंपी गई निवल आय के हिस्से के रूप में ₹ 34,477.56 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार 2023–24 में जी0एस0टी0 के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹ 62,155.16 करोड़ थीं। राज्य को 2023–24 के दौरान जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 398.19 करोड़ का गैर–ऋण मुआवजा प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा के लिए जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) पर अखिल भारतीय आँकडों तक पहुँच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की जानकारी 04 नवंबर 2020 को दी गई। बिहार में, जी0एस0टी0 बैक–एंड प्रणाली प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पहुँच प्रदान की गई है। जुलाई 2017 से जून 2022 तक की अवधि से संबंधित जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7(3)(बी) के तहत राज्य द्वारा एकत्र किए गए वास्तविक राजस्व का प्रमाणीकरण पूरा कर लिया गया है।

बकाया राजस्व एवं बकायों का आकलन का विश्लेषण

राजस्व संग्रहण में बकाया राशि सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली दर्शाती है। इसी प्रकार, मूल्यांकन की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। राज्य में सात[5] प्रमुख कर संग्रह विभाग थे। इन सात विभागों में से केवल चार ने राजस्व के बकाए से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी और तीन ने बकायों का आकलन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी। इसके अतिरिक्त, दो विभागों यथा खान एवं भूतत्व और ऊर्जा विभाग ने आँकड़े प्रदान नहीं किए।

अर्जित करने वाले सात प्रमुख राजस्व विभागों में से चार विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार राजस्व के बकाया का विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31.03.2023 तक कुल बकाया राशि	31.03.2024 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1	वैट/बिक्री व्यापार/जी0एस0टी0 आदि;	वाणिज्यिक कर	2,624.05	3,135.79	उपलब्ध नहीं
2	भू–राजस्व	राजस्व और भूमि सुधार	302.47	311.86	
3	पंजीकरण	मुद्रांक और पंजीकरण	266.42	284.66	
4	राज्य उत्पाद		58.92	58.59	
5	वहन पर कर	परिवहन	183.39	192.95	
कुल			**3,435.25**	**3,983.85**	

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकायों के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलियों का कम प्रमाणीकरण, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूलियाँ, करदाताओं/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण वसूली न होना आदि शामिल थे।

[5] वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (उत्पाद शुल्क), खान एवं भूतत्व विभाग, ऊर्जा विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

बकायों का आकलन

अंतिम रूप दिए गए मामले और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। राज्य कर विभागों द्वारा प्रस्तुत बकायों का आकलन का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: बकायों का आकलन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान नए मामले जोड़े गए	मूल्यांकन हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
1	वाणिज्यिक कर	26,861	522	27,383	1,455	25,928	5.31
2	परिवहन	31,699	1,647	33,346	1,328	32,018	3.98
3	पंजीकरण	1,977	1,010	2,987	655	2,332	21.93

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभागों द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण

कर संग्रहण विभागों द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों का ब्यौरा **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31.03.2023 तक लंबित मामले	2023–24 के दौरान पहचान किए गए मामले	कुल	ऐसे मामले जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई हो तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त मांग की गई हो		31.03.2024 तक अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	0005 और 0006	128	3,479	3,607	3,529	413.48	76
2	0030	2,051	906	2,957	1,863	11	1,896
3	0039	193	0	193	110	4.28	155

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

प्रतिदाय के लंबित मामले

धन वापसी के मामलों के निपटान में तत्परता, विभाग के कार्य निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। सात कर संग्रह विभागों में से दो ने प्रतिदाय के लंबित मामले के आँकड़े (राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदान किए गए 'शून्य' आँकड़े सहित) प्रदान किये।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित, प्रतिदाय के लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: प्रतिदाय के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	जी0एस0टी0		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	103	3.74	355	73.52
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,448	337.47	163	58.73
3	वर्ष के दौरान दिया गया प्रतिदाय	471	133.60	120	41.56
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत की गई प्रतिदाय	941	179.87	85	57.20
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	139	27.74	313	33.49
	कुल	**3,102**	**682.42**	**1,036**	**264.50**

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य के लंबित प्रतिदाय मामलों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सकी।

ब. गैर–कर राजस्व

गैर–कर राजस्व (एन0टी0आर0) के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियाँ जैसे सरकार द्वारा दिए गए बकाया या अन्य ऐसी सेवाओं के ऋणों और अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ और नकद शेष का निवेश, इक्विटी निवेशों से लाभांश और लाभ, जैसे अभिरक्षक के रूप में धारित परिसंपत्तियों खनिज, वन और वन्यजीव के उपयोग की अनुमति देने के लिए रॉयल्टी शुल्क अथवा सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए प्रयोक्ता प्रभार शामिल हैं।

2019–24 के दौरान राज्य के गैर–कर राजस्व के घटकों में प्रवृत्ति **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: राज्य के गैर–कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
ब्याज प्राप्तियाँ	1,416.48	3,241.97	722.47	642.03	897.00		
लाभांश और लाभ	1.62	603.01	6.54	1.49	9.51		
अन्य गैर–कर प्राप्तियाँ	**2,281.50**	**2,356.40**	**3,255.33**	**3,491.38**	**4,350.53**		
(ए) मुख्य और मध्यम सिंचाई	24.32	40.13	40.64	83.06	71.64		
(बी) सड़क परिवहन	0.20	0.11	0.18	0.19	0.18		
(सी) शहरी विकास	4.80	0.15	1.08	3.47	-		
(डी) शिक्षा	17.13	11.50	509.13	5.83	3.94		
(इ) गैर-लौह खनन	1,572.07	1,708.93	1,766.14	2,729.73	3,114.79		
(एफ) अन्य या विविध।	662.98	595.58	938.16	669.10	1,159.98		
कुल	**3,699.60**	**6,201.38**	**3,984.34**	**4,134.90**	**5,257.04**		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

i. विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 में एन0टी0आर0 में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राजस्व प्राप्तियों का 2.72 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 में जी0एस0डी0पी0 में राज्य के गैर–कर राजस्व की हिस्सेदारी केवल 0.62 प्रतिशत थी। आगे, वर्ष 2023–24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के तहत एन0टी0आर0 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

ii. 2023–24 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में गैर–कर राजस्व में ₹ 1,122.14 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः 'ब्याज प्राप्तियो', 'लाभांश और लाभ' तथा अन्य गैर–कर प्राप्तियों अर्थात 'गैर–लौह खनन' और 'अन्य या विविध' घटकों से प्राप्तियों क्रमशः ₹ 254.97 करोड़, ₹ 8.02 करोड़, ₹ 385.06 करोड़ और ₹ 490.88 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

iii. 2020–21 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियाँ और लाभांश और लाभों' में उल्लेखनीय वृद्धि क्रमशः ₹ 2,600 करोड़ की समेकित निक्षेप निधि पर अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण हुई।

iv. खनन विभाग के अंतर्गत गैर–लौह खनन से राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 385.06 करोड़ की वृद्धि हुई और यह राज्य के गैर–कर राजस्व में उच्चतम प्रतिशत हिस्सेदारी (59.25 प्रतिशत) रही।

यद्यपि, राजस्व प्राप्तियों और जी0एस0डी0पी0 में गैर–कर राजस्व का हिस्सा अधिक नहीं है, इन्हें नए स्रोतों का पता लगाकर तथा शुल्क, प्रयोक्ता प्रभारों आदि को युक्तिसंगत बनाकर और बढ़ाकर मौजूदा संसाधनों को सुदृढ़ कर बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य की गैर–कर राजस्व और इसके वृद्धि दर को **चार्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: गैर–कर राजस्व एवं वृद्धि दर

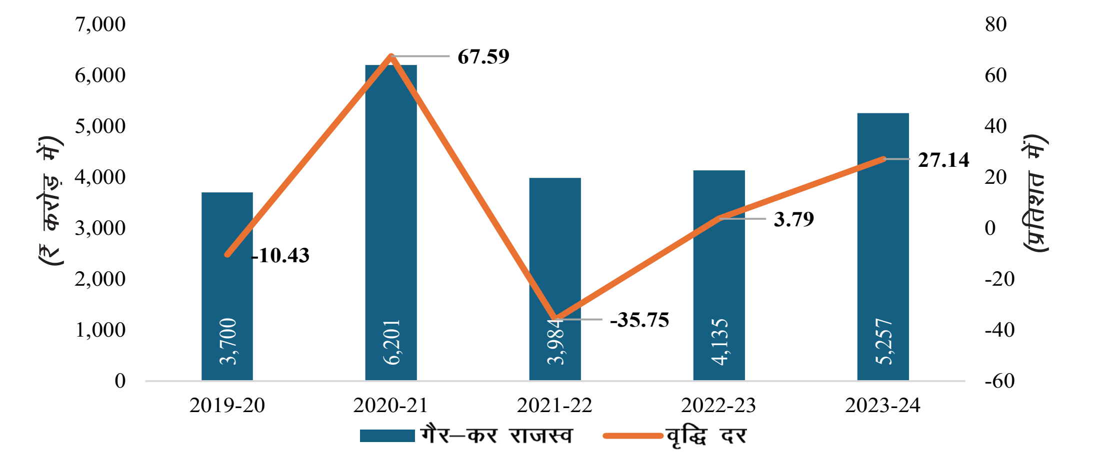

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **चार्ट 2.8** से देखा जा सकता है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर–कर राजस्व ने सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 27.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2020–21 में घातीय वृद्धि, समेकित निक्षेप निधि में अर्जित ब्याज के मोचन और एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से लाभांश जारी करने के कारण थी। हालाँकि 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य के गैर–कर राजस्व में 42.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन चालू वर्ष में इसने जी0एस0डी0पी0 में केवल 0.62 प्रतिशत का योगदान दिया।

2.4.2.2 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधियों का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को निधियों का अंतरण करती है (i) केंद्रीय करों का अंतरण और (ii) सहायता अनुदान।

केंद्र सरकार से राज्य को निधियों के अंतरण की तुलना में इसकी राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **चार्ट 2.9** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.9: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति

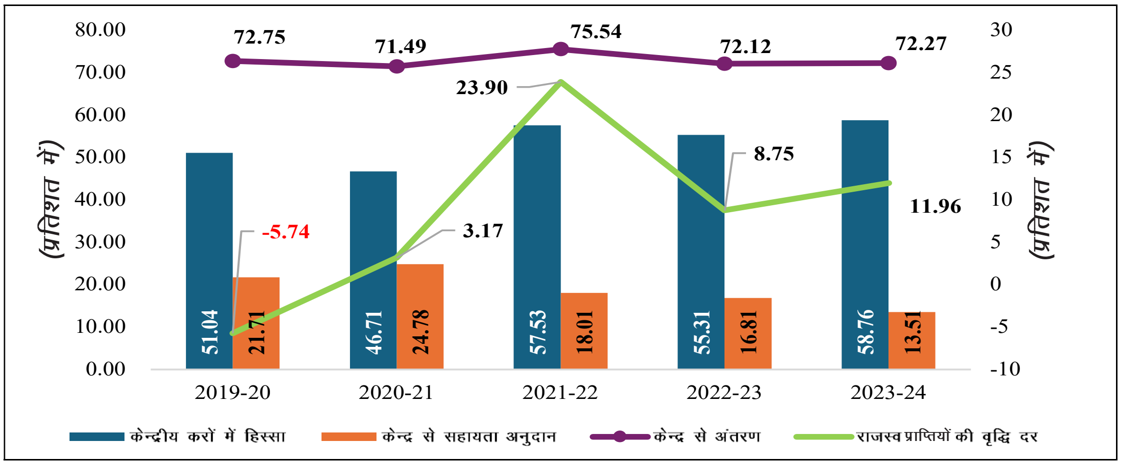

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अंतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि **चार्ट 2.9** से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कुल केंद्रीय हस्तांतरण का योगदान 71 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी राज्य की राजस्व प्राप्ति में सबसे बड़ा योगदान रहा है जो वर्ष 2019–24 के दौरान 46.71 प्रतिशत से 58.76 प्रतिशत तक रहा है। यद्यपि, राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान की हिस्सेदारी में 2020–21 के बाद गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन राज्य ने वर्ष 2023–24 में ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष देखा है।

केंद्रीय करों का अंतरण

पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वास्तविक अंतरणों को **तालिका 2.11** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.11: केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग का अनुमान (आपस में हिस्सा)	अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमानित हस्तांतरण	वास्तविक हस्तांतरण	अंतर की राशि	प्रतिशत कमी /अधिशेष
1	2	3	4	5	6(4–5)	7
2019–20	सेवा कर सहित विभाज्य करों की शुद्ध प्राप्तियों का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग)	10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	(–) 37.39
2020–21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	(–) 30.43
2021–22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग)	6,58,591	66,241	91,353	25,112	37.91
2022–23		7,32,628	73,688	95,510	21,822	29.61
2023–24		8,24,385	82,917	1,13,604	30,687	37.01

(स्रोतः वित्त आयोग का प्रतिवेदन और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.11** से देखा जा सकता है, वर्ष 2023–24 के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 37.01 प्रतिशत अधिक था। वास्तविक हस्तांतरण 2021–22 से 2023–24 की अवधि के लिए अनुमानित से अधिक रहा है। वर्ष 2023–24 में, विगत वर्ष की तुलना में राज्य को केंद्र सरकार से 18.94 प्रतिशत अधिक अंतरण प्राप्त हुआ। 2019–20 से 2023–24 तक हस्तांतरण में 79.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य को केन्द्रीय करों में वित्त आयोग के साथ–साथ अपने स्वयं के बजट अनुमान (₹ 1,02,737.26 करोड़) में ₹ 10,867.23 करोड़ की अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को **तालिका 2.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: केंद्रीय कर का अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	17,992.97	17,788.67	25,442.20	26,989.02	34,477.56		
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	0	0	0	0	0		
निगम कर	21,618.94	18,062.14	27,178.50	32,019.47	34,099.01		
निगम कर के अलावा आय पर कर	16,939.90	18,517.49	26,661.32	31,262.19	39,379.86		
सीमा शुल्क	4,019.07	3,179.93	6,775.97	3,754.66	3,981.12		
संघीय उत्पाद शुल्क	2,794.34	2,012.03	3,868.86	1,178.03	1,506.54		
सेवा कर	0.00	258.09	1,326.22	149.28	21.16		
अन्य कर #	41.11	43.06	99.55	157.20	139.24		
केंद्रीय कर अंतरण	**63,406.33**	**59,861.41**	**91,352.62**	**95,509.85**	**1,13,604.49**		
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	-13.85	-5.59	52.61	4.55	18.95		
राजस्व प्राप्ति में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	51.04	46.71	57.53	55.31	58.76		

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

 # अन्य करों में धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

2023–24 के दौरान, केंद्रीय करों के हस्तांतरण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 18,094.64 करोड़ की काफी वृद्धि हुई, जो विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक है और 2019–20 से ₹ 50,198 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 के लिये केंद्रीय कर हस्तांतरण में 'निगम कर के अलावा अन्य आय' पर करों में हिस्सा सबसे अधिक (34.66 प्रतिशत) था, इसके बाद 'सी0जी0एस0टी0 का हिस्सा' था। 2023–24 के दौरान कुल केंद्रीय कर हस्तांतरण में 'सी0जी0एस0टी0', 'निगम कर' और 'निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर' का हिस्सा 95.03 प्रतिशत था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों पर सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) प्राप्त करता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान और उनके देय घटकों का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	(–) 40.27	(–) 33.57	0.00	(–) 374.48	(–) 167.08
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	15,302.04	16,609.56	17,832.91	22,237.18	17,961.52
वित्त आयोग अनुदान	7,343.61	8,850.00	7,077.56	6,732.65	7,662.52
विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	4,363.24	6,337.89	3,695.36	430.19	668.05
कुल	**26,968.62**	**31,763.88**	**28,605.83**	**29,025.54**	**26,125.00**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	9.40	17.78	(–) 9.94	1.47	(–) 9.99
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	21.71	24.78	18.01	16.81	13.51

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित (ii) आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए और (iii) केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के केंद्रीय हिस्से के लिए।

तालिका 2.13 से यह देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 2,900.54 करोड़ की कमी आई, जिसका मुख्य कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान में कमी (19.23 प्रतिशत) है। साथ ही, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम था।

इसके अलावा, 2022–23 और 2023–24 के दौरान 1601–02–900 (एच0ओ0ए0) के तहत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 374.48 करोड़ और ₹ 167.08 करोड़ का सहायता अनुदान वापस कर दिया गया। इसका विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

तालिका 2.14: भारत की समेकित निधि में सहायता अनुदान की वापसी

क्र.सं.	लघु शीर्ष का विवरण (1601–02–900) संबंधित मंत्रालय	राशि (₹ करोड़ में)	
		2022–23	2023–24
1	कृषि मंत्रालय, पशु दुग्ध एवं मत्स्य संसाधन विभाग	93.93	0.00
2	कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता, युवा मामले और खेल युवा मामलों के विभाग	2.00	0.00
3	कृषि मंत्रालय कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग	79.25	22.15
4	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	0.00	0.10
5	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	66.83	1.27
6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2.09	143.38
7	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	4.30	0.00
8	विधि और न्याय मंत्रालय	0.00	0.18
9	शहरी मंत्रालय	126.09	0.00
	कुल	**374.48**	**167.08**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.14** से देखा जा सकता है, 2023–24 के दौरान, लौटाए गए सहायता अनुदान का 99 प्रतिशत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (₹ 143.38 करोड़) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (₹ 22.15 करोड़), भारत सरकार से संबंधित था। ये सहायता अनुदान राज्य को वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2020–21 के दौरान प्राप्त हुए थे और समाज कल्याण विभाग और कृषि विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए जारी किए गए थे। इसी तरह, 2022–23 के दौरान भी भारत सरकार को ₹ 374.48 करोड़ की राशि वापस कर दी गई थी।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्राप्त ₹ 17,961.52 करोड़ का अनुदान में प्रमुख राशि का विवरण निम्नानुसार है:

i. 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रणाली हेतु लचीले पूल' के अंतर्गत ₹ 950.94 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 147.84 प्रतिशत की वृद्धि)।

ii. 'ग्राम उद्यमिता 'स्टार्ट–अप' कार्यक्रम के लिए अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,150.07 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 31,678.77 प्रतिशत की वृद्धि)।

iii. 100 स्मार्ट शहरों के मिशन (पी0एफ0एम0एस0 कोड 9478) के लिए ₹ 566.23 करोड़ (विगत वर्ष की तुलना में 188.90 प्रतिशत की वृद्धि)।

iv. आंगनबाड़ी सेवा योजना के लिए ₹ 145.71 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 648.09 प्रतिशत की वृद्धि)

v. समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के लिए ₹ 3,334.59 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 130.74 प्रतिशत की वृद्धि)

vi. अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना हेतु ₹ 3,027.96 करोड़ का अनुदान (विगत वर्ष की तुलना में 46.22 प्रतिशत की कमी)

समग्र शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) हेतु अनुदान के तहत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि विगत वर्ष ₹ 1,358.84 करोड़ प्राप्त हुए थे।

एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी0एफ0एम0एस0 / एफ0सी0डी0 / 2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) के तहत धन जारी करने और एस0एन0ए0 द्वारा निगरानी के साथ–साथ निधि के उपयोग की प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए, एस0एन0ए0 की स्थापना राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय संचालित करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केन्द्रीय हिस्से को संबंधित राज्य नोडल एजेंसी के लेखे में अंतरित करना होता है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार को अपने कोषागार खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 18,231.24 करोड़ प्राप्त हुए।

पी0एफ0एम0एस0 प्रतिवेदन (31 मार्च 2024 तक) के अनुसार, सरकार ने सी0एस0एस0 के लिए ₹ 31,145.19 करोड़ एस0एन0ए0 को अंतरित किए जिसमें केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित था एवं अनुपातिक राज्य के हिस्सा की राशि ₹ 10,865.60 करोड़ थी। ₹ 31,145.19 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, केवल ₹ 29,130.11 करोड़ खर्च किए गए, और अगस्त 2024 तक एस0एन0ए0के बैंक खातों में ₹ 14,738.14 करोड़ (विगत वर्षों की शेष राशि सहित) खर्च नहीं किए गये। एस0एन0ए0 से महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के कार्यालय में वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। एस0एन0ए0 के संबंध में विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के **अध्याय–IV** के **कंडिका 4.19** में दिया गया है।

पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों, राज्य विशिष्ट अनुदानों और राजस्व घाटा अनुदान के लिए अनुदान प्रदान किया।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों तथा राज्य द्वारा उसके सापेक्ष जारी की गई वास्तविक राशि का विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: सहायता अनुदान की अनुशंसित और वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान दिया गया	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक अंतरण			राज्य द्वारा अंतरण		
	2021–22	2022–23	2023–24	2021–22	2022–23	2023–24	2021–22	2022–23	2023–24
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	3,709.00	3,842.00	3,884.00	3,709.00	3,842.00	3,852.41	3,709.00	3,842.00	3,852.41
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	1,827.00	1,892.00	2,001.00	836.25	1,552.35	2,256.50	836.25	1,785.00	1,051.50
स्वास्थ्य के लिए अनुदान	1,133.10	1,133.10	1,189.59	1,116.31	0.00	0.00	1,116.31	0.00	0.00
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	1,416.00	1,487.00	1,561.00	1,416.00	1,338.30	1,553.60	1,416.00	1,487.00	1,561.00
कुल	**8,085.10**	**8,354.10**	**8,635.59**	**7,077.56**	**6,732.65**	**7,662.51**	**7,077.56**	**7,114.00**	**6,464.91**

(स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

** राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि शामिल*

राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूरा हिस्सा नहीं प्राप्त हो सका, जिसका मुख्य कारण अनिवार्य मानदण्डों को प्राप्त न करना था। वित्त विभाग, बिहार सरकार, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 6,464.91 करोड़ का अनुदान जारी किया, जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित राशि से 25.14 प्रतिशत कम था। शहरी स्थानीय

निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को जारी अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश से क्रमशः 47.45 प्रतिशत और 0.81 प्रतिशत कम थे। पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹ 1,189.59 करोड़ के सिफारिश के विरूद्ध स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत ये अनुदान 'प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढाँचे के लिए सहायता', 'ब्लॉक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयों', 'शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच0डब्ल्यू0सी0)', 'भवन–रहित उप केंद्रों, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0', 'ग्रामीण पी0एच0सी0 और 'उप केंद्रों' को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में परिवर्तित करना था।

कुल मिलाकर राज्य ने भारत सरकार से ₹ 7,662.51 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6,464.91 करोड़ जारी किए, जो भारत सरकार द्वारा वास्तविक राशि से 15.63 प्रतिशत कम था।

उपरोक्त अनुदानों के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने कुछ राज्य विशिष्ट अनुदानों जैसे सांख्यिकी, न्यायपालिका और पी0एम0जी0एस0वाई0 के रख–रखाव में सुधार के लिए अनुदान, राज्य के लिए कृषि सुधारों, आत्मनिर्भरता, निर्यात और संवहनीयता के लिए प्रोत्साहन राशि की सिफारिश की थी, लेकिन वर्ष के दौरान ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

वित्त विभाग, बिहार सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण/जवाब की प्रतीक्षा की जा रही थी (31 दिसंबर 2024 तक)।

2.4.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों का विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**29,175**	**36,735**	**40,473**	**48,325**	**60,314**
ऋण और अग्रिमों की वसूली	30	820	28	41.41	96
लोक ऋण प्राप्तियाँ (अ) + (ब)	**29,145**	**35,915**	**40,445**	**48,284**	**60,218**
आंतरिक ऋण (अ)	27,866	29,412	30,918	38,129	49,546
वृद्धि दर	72.72	5.55	5.12	23.32	29.94
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (ब)	1,279	6,503*	9,527*	10,155	10,672
वृद्धि दर	(–) 50	408.44	46.50	6.59	5.10
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (लोक ऋण) (प्रतिशत)	56	23.23	12.61	19.38	24.72
गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–) 98	2,633.33	(–) 96.59	48.18	131.38
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का जी0एस0डी0पी0 (2011–12 सीरीज)	**5,81,855**	**5,67,814**	**6,47,394**	**7,46,417**	**8,54,429**
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(–) 2.41	14.02	15.30	14.47
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	42	25.91	10.18	19.40	24.81

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* *भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में क्रमशः वर्ष 2020–21 और 2021–22 में जी0एस0टी0 मुआवजे की कमी के बदले बैक–टू–बैक ऋण शामिल था, जिसमें राज्य को कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं था।*

जैसा कि 2023–24 के दौरान **तालिका 2.16** से देखा जा सकता है, पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों (₹ 2,53,660.71 करोड़) का 23.78 प्रतिशत थी और 2019–20 से इसमें 106.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 24.46 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई।

राज्य ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 49,546 करोड़ उधार लिए और भारत सरकार से ₹ 10,672 करोड़ का ऋण लिया। 2023–24 में, खुले बाजार से उधार लेने और भारत सरकार से ऋण की मात्रा में 2019–20 से क्रमशः 77.80 प्रतिशत और 734.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों तथा आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियों का हिस्सा 99.84 प्रतिशत था। ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए क्रमशः 19.38 प्रतिशत और 24.72 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

चालू वर्ष में, आंतरिक ऋण (₹ 49,546 करोड़) ने पूँजीगत प्राप्तियों और भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 82.15 प्रतिशत का योगदान दिया और विगत वर्ष की तुलना में 29.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 'विशेष सहायता' के तहत ₹ 8,814.80 करोड़ और 'ब्लॉक ऋण (मुख्य शीर्ष 6004 उप शीर्ष 09 के तहत)' के तहत ₹ 1,856.99 करोड़ की राशि प्रमुख घटक थे।

ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ बढ़कर ₹ 96 करोड़ हो गईं। इसमें से 24.17 प्रतिशत (₹ 23.20 करोड़) सरकारी कर्मचारियों से ऋणों की वसूली के कारण था। विगत वर्ष की तरह, 'सरकारी कर्मचारियों से संवितरण के विरूद्व वसूली' गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का उच्चतम प्रतिशत है।

वर्ष 2023–24 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान, ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 27.19 प्रतिशत थी, जबकि जी0एस0डी0पी0 की औसत वृद्धि 10.32 प्रतिशत थी।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 24.81 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में 15.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.4 संसाधन के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों का संग्रहण सरकार का सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा लोक निवेश के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।

संसाधन के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्व–कर राजस्व और गैर–कर राजस्व शामिल हैं, जैसा कि **तालिका 2.17** में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: 2023–24 में अनुमानों की तुलना में कर और गैर–कर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट आकलन	पंद्रहवें वित्त आयोग अनुमान	छठे राज्य वित्त आयोग अनुमान	वास्तविक	वास्तविकी की प्रतिशत भिन्नता		
					बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	छठे राज्य वित्त आयोग का अनुमान
स्व–कर राजस्व	49,700.05	36,557	38,017	48,360.69	(–) 2.69	32.29	27.21
स्व गैर–कर राजस्व	6,511.74	5,400	6,374	5,257.05	(–) 19.27	(–) 2.65	(–) 17.52

(स्रोतः बिहार सरकार के बजट दस्तावेज, पंद्रहवें वित्त आयोग रिपोर्ट, छठे राज्य वित्त आयोग और वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान, स्व–कर राजस्व संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन पंद्रहवे वित आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर और बजट अनुमानों के करीब था। हालाँकि स्व–गैर कर राजस्व के वास्तविक आँकड़े पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों के साथ–साथ वर्ष के दौरान बजट अनुमानों से कम थे।

2.5 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढाँचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्यय जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य, राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाकर बचत करना होना चाहिए।

2.5.1 व्यय की वृद्धि एवं घटक

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत, देखभाल और कामकाजी खर्चों पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को परिचालन अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं साथ ही स्थापना और प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन–प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किये जाएंगे।

पूँजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी शुल्कों के साथ–साथ कार्य के मध्यवर्ती रख–रखाव के लिए शुल्क, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधार के लिए भी शुल्क को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा लोक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

समग्र व्यय और इसके घटकों की प्रवृत्तियों तथा जी0एस0डी0पी0 में उनका प्रतिशत **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कुल व्यय (टी0ई0)	1,38,987	1,58,816	1,84,377	2,17,552.81	2,29,103.05
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976.22	1,90,514.17
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	12,304	18,209	23,678	31,519.82	36,453.02
ऋण और अग्रिम	666	1,114	1,479	2,056.77	2,135.86
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,74,394	7,46,417	8,54,429
जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	23.89	27.97	28.48	29.15	26.81
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	21.66	24.57	24.59	24.65	22.30
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	2.11	3.21	3.66	4.22	4.27
ऋण और अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.11	0.20	0.23	0.28	0.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.18** से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों (2019–24) में राज्य के कुल व्यय में 64.84 प्रतिशत (₹ 1,38,987 करोड़ से ₹ 2,29,103.05 करोड़) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 5.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में, कुल व्यय, राजस्व व्यय और ऋण और अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में कम हुए। जबकि पूँजीगत व्यय में मामूली वृद्धि हुई है।

चार्ट 2.10 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

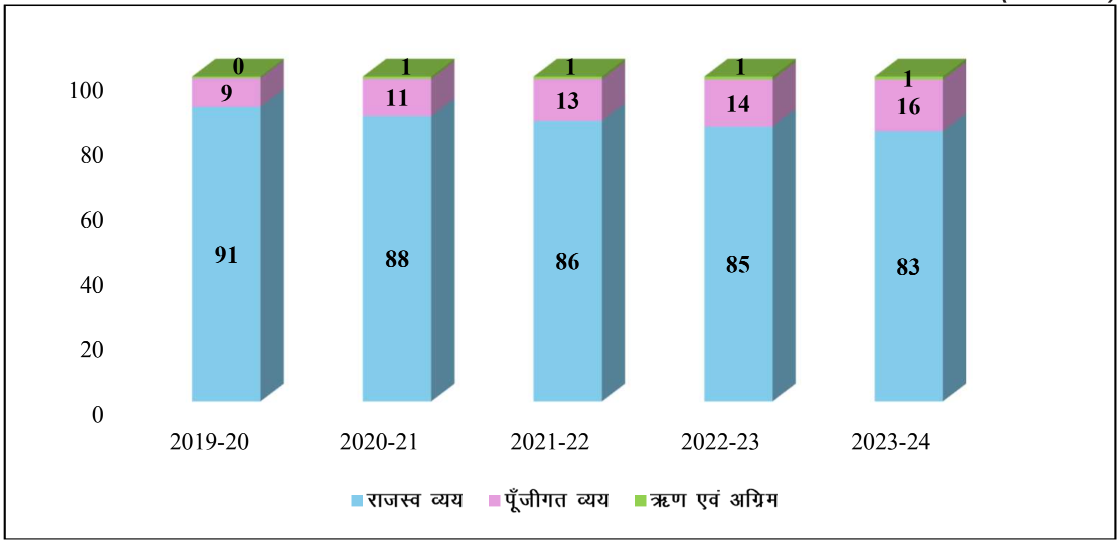

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **चार्ट 2.10** से देखा जा सकता है, विगत पाँच वर्षों में, पूँजीगत व्यय ने वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित की। यह राज्य के कुल व्यय का नौ प्रतिशत (2019–20) से बढ़कर 16 प्रतिशत (2023–24) हो गया। राजस्व व्यय ने राज्य के कुल व्यय के 91 प्रतिशत (2019–20) से 83 प्रतिशत (2023–24) होने की घटती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय में निम्नलिखित पर व्यय शामिल हैः (i) ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाएँ, (ii) सामाजिक सेवाएँ (iii) आर्थिक सेवाएँ और (iv) अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान, ऋण और अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समझौता शामिल हैं)।

आर्थिक वर्गीकरण और गतिविधियों द्वारा व्यय के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन **तालिका 2.19** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 2.19: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष योगदान

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
सामान्य सेवाएँ	44,016 *(31.67)*	47,626 *(29.99)*	52,447 *(28.45)*	59,284 *(27.25)*	64,882 *(28.32)*
सामाजिक सेवाएँ	60,619 *(43.61)*	70,139 *(44.16)*	81,268 *(44.08)*	94,316 *(43.35)*	90,226 *(39.38)*
आर्थिक सेवाएँ	33,684 *(24.24)*	39,935 *(25.15)*	49,183 *(26.68)*	61,896 *(28.45)*	71,860 *(31.37)*
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	668 *(0.48)*	1,116 *(0.70)*	1,479 *(0.80)*	2,057 *(0.95)*	2,136 *(0.93)*

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल व्यय की तुलना में इन क्षेत्रों पर व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

तालिका 2.19 दर्शाती है किः

i. 2022–23 की तुलना में, आर्थिक और सामान्य सेवाओं पर व्यय में मामूली (प्रतिशत–वार) वृद्धि हुई, जबकि 2023–24 के दौरान सामाजिक सेवाओं और अन्य के मामले में इसमें कमी आई।

ii. सामान्य सेवाओं में, राज्य ने 'ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी' के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए समेकित निक्षेप निधि में योगदान को स्थगित करके 'ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग' पर अपने व्यय को कम कर दिया, जिसने राजकोषीय घाटे को उस हद तक प्रभावित किया। 2023–24 के दौरान, राज्य ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1,466.57 करोड़ का योगदान दिया, जो विगत वर्ष की तुलना में 13.86 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, 'न्याय प्रशासन', 'भू–राजस्व', 'पुलिस' और 'पेंशन' और 'अन्य सेवानिवृत्ति लाभों' के तहत व्यय में भी विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.50 प्रतिशत, 29.63 प्रतिशत, 17.13 प्रतिशत और 5.12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

iii. सामाजिक सेवाओं में 'आवास' के तहत 94.05 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के तहत 65.96 प्रतिशत और 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के तहत 24.07 प्रतिशत की कमी देखी गई।

iv. आर्थिक सेवाओं में विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 के दौरान 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम' में 28.07 प्रतिशत, 'बाढ़ नियंत्रण और जल–निकासी' के तहत 28.05 प्रतिशत, 'सड़क और पुल' के तहत 35.48 प्रतिशत और 'ग्रामीण रोजगार' के मामले में 102.16 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कार्य के अनुसार व्यय की संरचना का विवरण **चार्ट 2.11** में देखा जा सकता है।

चार्ट 2.11: 2023–24 के दौरान कार्य के अनुसार व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)

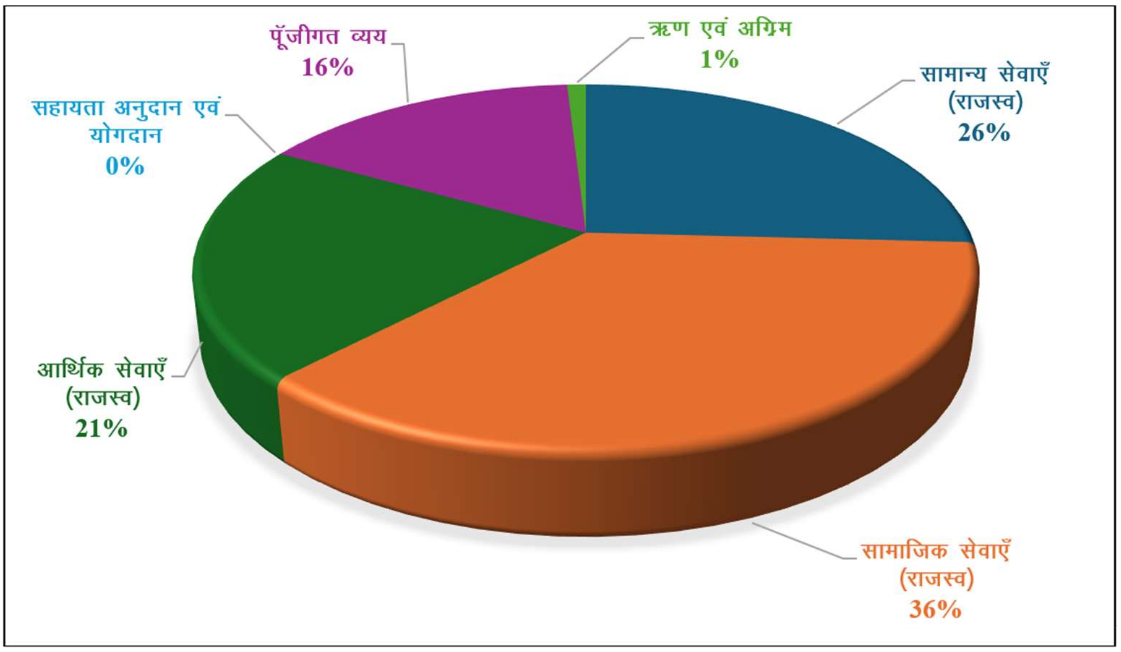

(स्रोतः वित्त लेखे 2023–24)

सामाजिक सेवाओं पर व्यय विगत वर्ष की तरह कुल व्यय का उच्चतम प्रतिशत था, हालाँकि 2022–23 की तुलना में इसमें पाँच प्रतिशत अंक से गिरावट आई है। सामान्य सेवाओं में व्यय में विगत वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा, 2022–23 की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में तीन प्रतिशत अंकों से वृद्धि की गई।

राज्य का घटकवार बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध किए गए घटक–वार व्यय का विवरण **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: घटक–वार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट की प्रतिशतता	कुल व्यय की प्रतिशतता	कुल बजट के सापेक्ष व्यय का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5/4*100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	1,61,855.67	19,017.35	1,80,873.02	1,54,360.50	55.44	59.21	85.34
राज्य की योजनाएँ	37,941.34	25,674.70	63,616.04	57,439.07	19.50	22.03	90.29
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्रीय हिस्सा	44,712.64	3,397.08	48,109.72	21,501.41	14.75	8.25	44.69
केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश	14,613.02	15,791.29	30,404.31	25,370.19	9.32	9.73	83.44
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ	29.73	64.30	94.03	88.67	0.03	0.03	94.30
ई0ए0पी0 – बाह्य संपोषित परियोजनाएँ	2,733.00	400.00	3,133.00	1,958.23	0.96	0.75	62.50
कुल	**2,61,885.40**	**64,344.72**	**3,26,230.12**	**2,60,718.07**	**100.00**	**100.00**	**79.92**

(स्रोत: बिहार सरकार के विनियोग लेखे और बजट दस्तावेज)

जैसा कि **तालिका 2.20** में देखा जा सकता है, राज्य का कुल व्यय इसके मूल बजट तक नहीं पहुँचा और यह इसके कुल बजट का 79.92 प्रतिशत था। इसके बावजूद, ₹ 64,344.72 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रावधान किए गए। राज्य के कुल व्यय में से 59.21 प्रतिशत स्थापना और प्रतिबद्ध (ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और ऋण पुर्नभुगतान) घटक पर खर्च किया गया और 17.98 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया गया।

राज्य का कार्य–वार बजट और व्यय

कार्यवार बजटीय प्रावधानों और किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.21** में दिखाया गया है।

तालिका 2.21: कार्यवार बजटीय प्रावधान और किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यक्षेत्र	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविकी की प्रतिशतता	बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत
सामान्य सेवाएँ	74,331.84	64,882.21	25.74	87.29
सामाजिक सेवाएँ	99,878.49	90,225.55	35.79	90.34
आर्थिक सेवाएँ	62,688.34	71,859.55	28.51	114.63
लोक ऋण	23,558.69	22,979.38	9.12	97.54
ऋण और अग्रिम	1,221.40	2,135.86	0.85	174.87
सहायता अनुदान और योगदान	6.64	(–) 0.13	0.00	(–) 1.96
कुल	**2,61,685.40**	**2,520,82.42**	**100.00**	

(स्रोत: बिहार सरकार के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज)

तालिका 2.21 से पता चलता है कि सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, लोक ऋण और सहायता अनुदान पर किया गया वास्तविक व्यय कम था तथा आर्थिक सेवाओं और ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों से अधिक था।

2.5.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्व का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) और अन्य को हस्तांतरण शामिल हैं। इस व्यय को विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों जैसे सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में भी वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय भौतिक बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन विकास के लिए किया जाता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय राजकोषीय सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं और राज्य के अव्यवों पर किया जाता है।

राजस्व व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.22** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.22: राजस्व व्यय–मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
कुल व्यय (टी0ई0)	1,38,987	1,58,816.02	1,84,376.51	2,17,552.81	2,29,103.05
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,26,017	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.90	10.69	14.14	15.55	3.55
आर0आर0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–) 5.74	3.17	23.90	8.75	11.96
जी0एस0डी0पी0की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.20	(–) 2.41	14.02	15.30	14.47
आर0ई0 का टी0ई0 से प्रतिशतता	90.67	87.83	86.36	84.57	83.16
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	21.66	24.57	24.59	24.65	22.30
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशतता	101.44	108.84	100.27	106.54	98.53
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात) के साथ	0.09	–	1.01	1.02	0.25
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) के साथ	(–) 0.16	3.38	0.59	1.78	0.30

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2020–21 के लिए उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई है क्योंकि जी0एस0डी0पी0 वृद्धि नकारात्मक थी।

तालिका 2.22 से पता चलता है किः

i. राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.16 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 16.84 प्रतिशत निधि शेष थी जो विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत (₹ 6,537.95 करोड़) की वृद्धि हुई।

ii. वित्त लेखे के अनुसार, राजस्व शीर्ष के तहत शामिल किए गए कुछ व्यय को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय अधिक था **(कंडिका 2.5.3.5)**।

iii. वर्ष 2023–24 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 1.48 प्रतिशत अंक से कम था।

iv. वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 'एक' से कम थी, जो राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की तेज गति से वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)

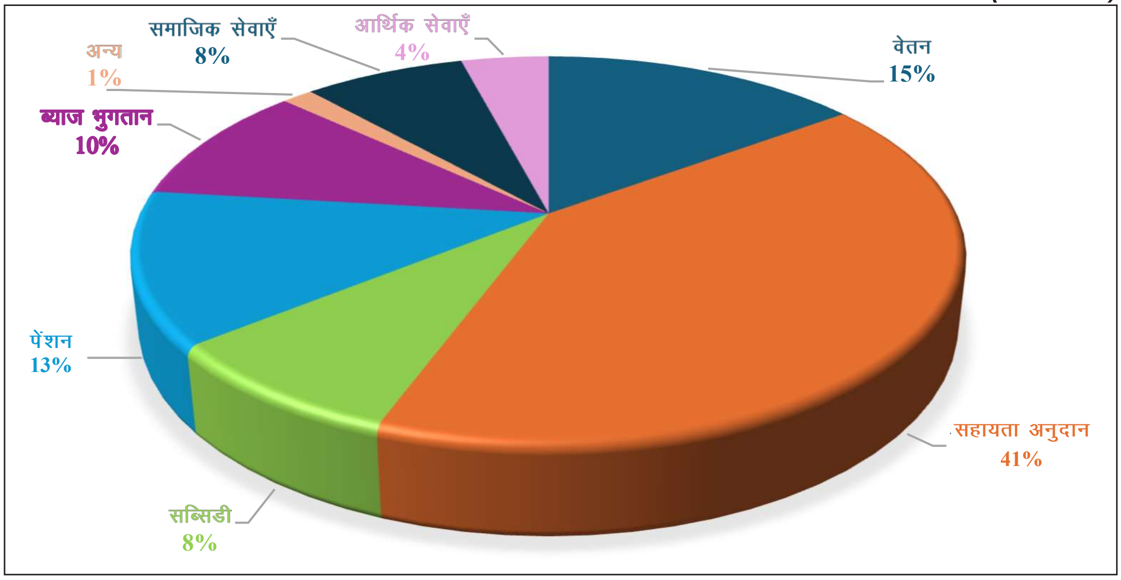

(स्रोत: वित्त लेखे 2023–24)

राजस्व व्यय का प्रमुख हिस्सा सहायता अनुदान (41 प्रतिशत) और प्रतिबद्ध व्यय (38 प्रतिशत) अर्थात वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान था।

2.5.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

चालू वर्ष और विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण अंतर **तालिका 2.23** में दिए गए हैं।

तालिका 2.23: 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/ कमी (–)	प्रतिशत वृद्धि/कमी
2029–भू–राजस्व	867.83	1,124.98	257.15	29.63
2049–ब्याज भुगतान	15,183.54	17,605.80	2,422.26	15.95
2055–पुलिस	9,235.61	10,817.90	1,582.29	17.13
2217–नगर विकास	5000.80	8,788.40	3,787.60	75.74
2801–ऊर्जा	12,701.36	13,940.41	1,239.06	9.76
2071–पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	23,107.87	24,290.92	1,183.05	5.12
2216–आवास	12,574.94	747.93	(–) 11,827.01	(–) 94.05
2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	9,840.79	7,472.04	(–) 2,368.75	(–) 24.07
2215– जलापूर्ति और स्वच्छता	2,551.72	7,691.58	5,139.86	201.43
2505–ग्रामीण रोजगार	1,573.11	3,180.26	1,607.15	102.16
2225– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	2,864.94	975.10	(–) 1,889.84	(–) 65.96
2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8,422.46	9,846.24	1,423.78	16.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.23 दर्शाता है कि:

अ. निम्नलिखित के तहत व्यय में कमी आई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'आवास' के अंतर्गत 'ग्रामीण आवास में' 'इंदिरा आवास योजना', 'अनुसूचित जातियों' के लिए 'विशेष घटक योजना' और 'जनजातीय क्षेत्र उप–योजना' में क्रमश 95.74 प्रतिशत, 91.57 प्रतिशत और 84.80 प्रतिशत (ii) मुख्य शीर्ष 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के तहत अन्य पुनर्वास योजना 31.85 प्रतिशत वृद्धों, अशक्तों एवं निराश्रितों के कल्याण में 34.99 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' 53.10 प्रतिशत और 'पेंशन' में 49.03 प्रतिशत (iii) मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण' के तहत 'ग्राम पंचायतों (अनुसूचित जातियों) को सहायता' 53.73 प्रतिशत और 'ग्राम पंचायतों (पिछड़े वर्ग) को सहायता' 35.14 प्रतिशत और 'शिक्षा' में 23.01 प्रतिशत की कमी हुई है।

ब. निम्नलिखित के तहत व्यय में वृद्धि हुई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'जलापूर्ति और स्वच्छता' के अंतर्गत 'स्वच्छता सेवाओं' में 413.03 प्रतिशत, 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में 517.29 प्रतिशत, 'ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों' में 81.46 प्रतिशत, 'स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं' आदि में 12,517.08 प्रतिशत और 'नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को' सहायता में 1,713.56 प्रतिशत (ii) मुख्य शीर्ष 'ग्रामीण रोजगार' के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में 97.82 प्रतिशत (iii) मुख्य शीर्ष 'शहरी विकास' के अंतर्गत 'निर्माण' में 109.91 प्रतिशत 'स्थानीय निकायों', निगमों, शहरी कल्याण प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता में 247.25 प्रतिशत की वृद्धि और 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में 8,129.44 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

2.5.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला अधिकार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रहता है।

प्रतिबद्ध व्यय और उसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वेतन	20,375.92	21,802.11	23,524.52	24,816.02	28,385.60
पेंशन	17,110.38	19,635.15	20,257.58	23,107.87	24,290.92
ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.04	13,821.93	15,183.54	17,605.80
कुल	**48,477.72**	**53,921.30**	**57,604.03**	**63,107.43**	**70,282.32**
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन	16.40	17.01	14.81	14.37	14.68
पेंशन	13.77	15.32	12.76	13.38	12.56
ब्याज भुगतान	8.85	9.74	8.70	8.79	9.11
कुल	**39.02**	**42.07**	**36.28**	**36.54**	**36.35**

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व व्यय (आर0ई0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन	16.17	15.63	14.77	13.49	14.90
पेंशन	13.58	14.08	12.72	12.56	12.75
ब्याज भुगतान	8.72	8.95	8.68	8.25	9.24
कुल	**38.47**	**38.66**	**36.18**	**34.30**	**36.89**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2022–23 में 34.30 प्रतिशत से लेकर 2020–21 में 38.66 प्रतिशत तक था। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 2023–24 में (मामूली रूप से 0.19 प्रतिशत अंक) घटकर 36.35 प्रतिशत हो गया। 2019–20 और 2023–24 के बीच प्रतिबद्ध व्यय में 44.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019–24 की अवधि के दौरान 'वेतन' प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख घटक रहा है, इसके बाद 'पेंशन' आता है। इसके अतिरिक्त, सभी तीन घटक अर्थात् वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में 2019–20 की तुलना में 2023–24 में क्रमशः 39.31 प्रतिशत, 41.97 प्रतिशत और 60.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ब्याज भुगतान लोक ऋण और सरकार की अन्य ब्याज–सहित देनदारियों पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रदान करते हैं, जिसमें बीमा एवं पेंशन निधि, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा शामिल हैं। इसमें कर्ज कम करने या बचाव पर होने वाला खर्च भी शामिल है।

वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 7,174.89 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (9.11 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2022 में निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के 8.64 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग (₹ 16,724 करोड़) के अनुमान से कम था। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों पर व्यय 2019–20 में जी0एस0डी0पी0 का 8.33 प्रतिशत था और 2023– 24 में घटकर 8.23 प्रतिशत हो गया। 2020–21 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष में प्रतिबद्ध व्यय 9.50 प्रतिशत था, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक था।

राज्य सरकार के 2023–24 के बजट दस्तावेज के अनुसार, "लोक ऋण का पुनर्भुगतान" राज्य का एक प्रतिबद्ध व्यय है। लोक ऋण का पुनर्भुगतान पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के घटकों में से एक है। इसलिए, इस प्रतिवेदन में, लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय की गणना की गई है।

पूर्व में वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य की पेंशन और वेतन भुगतानों में वृद्धि हुई है जिससे राज्य का राजस्व व्यय प्रभावित हुआ है।

वर्ष के दौरान, राज्य ने प्रतिबद्ध व्यय को एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्यों के भीतर बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के बड़े हिस्से का आवंटन पूँजीगत व्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं के लिए राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

2.5.2.3: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न चुकाई गई देनदारियाँ

01 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0), एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी0सी0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर योगदान देती है। संपूर्ण राशि (कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/न्यासी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित किया जाना है।

2023–24 के दौरान, एन0पी0एस0 के लिए हस्तांतरित कुल राशि ₹ 3,402.09 करोड़ थी (कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत की दर से ₹ 1,387.46 करोड़ और सरकार का योगदान 14 प्रतिशत की दर से ₹ 1,984.79 करोड़ और सरकार द्वारा ₹ 29.84 करोड़ का ब्याज)। सरकार के अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के खंड –II के **विवरणी संख्या–15** में मुख्य शीर्ष 2071 और 2049 के अंतर्गत उपलब्ध है। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342–117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखे में ₹ 3,402.09 करोड़ हस्तांतरित किए। एन0पी0एस0 में सरकार का अंशदान ₹ 42.35 करोड़ (सरकार का वास्तविक अंशदान ₹ 1,984.79 करोड़ घटाव सरकार का अपेक्षित अंशदान ₹ 1,942.44 करोड़) से अधिक हो गया। निधि में आरंभिक शेष ₹ 258.15 करोड़ था। सरकार ने 31 मार्च 2024 को ₹ 10.24 करोड़ जिसे अभी तक एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित नहीं किया गया था (₹ 3,660.24 करोड़ घटाव ₹ 3,650.00 करोड़) की शेष राशि को छोड़कर एन0एस0डी0एल0 को ₹ 3,650.00 करोड़ हस्तांतरित किए हैं। 2020–21 से पहले, नियोक्ता और कर्मचारियों के योगदान को मुख्य शीर्ष 8011–106 में जमा किया गया था। 31 मार्च 2024 तक, इस मद के तहत अंतिम शेष ₹ 40.87 करोड़ था जिसे अभी तक एन0एस0डी0एल0 को अंतरित किया जाना था। ₹ 51.11 करोड़ (₹ 10.24 करोड़ + ₹ 40.87 करोड़) के अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप नकदी शेष और राजस्व अधिशेष का अतिकथन हुआ और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करके बताया गया है।

कर्मचारियों के हिस्से से प्राप्तियों, सरकार के योगदान, अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25: डी0सी0पी0एस0 के तहत योगदान और निवेश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर्मचारियों का योगदान	सरकार का अंशदान	कुल	पेंशन निधि में अंतरण	कम (–)/अधिक(+) अंतरण
2015–16	314.72	309.44	624.16	609.72	(–) 14.44
2016–17	381.55	382.64	764.19	741.68	(–) 22.51
2017–18	462.64	472.36	935.00	937.33	2.33
2018–19	573.74	567.54	1,141.28	1,081.26	(–) 60.02
2019–20	688.65	816.58	1,505.23	1,302.58	(–) 202.65
2020–21	802.00	1,099.76	1,901.76	1,976.83	75.07
2021–22	934.55	1,311.04	2,245.59	2,302.76	57.17
2022–23	1,106.56	1,543.25	2,649.81	2,609.30	(–) 40.51
2023–24	1,387.46	1,984.79	3,372.25	3,650.00	277.75

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

एन0एस0डी0एल0 को अल्प अंशदान/निधियों का अंतरण कर्मचारियों की पेंशन आय को प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार के अंशदान को जारी करने और पेंशन निधि में इसके अंतरण में विलंब के कारण राज्य सरकार को सामान्य भविष्य निधि के लागू दर पर परिहार्य ब्याज का सामना करना पड़ा जिससे भविष्य में देनदारी और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक सृजित हो रही है।

2.5.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप में, वस्तु रूप में या कर रियायतों के रूप में हो सकती है।

सब्सिडियों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.26** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.26: 2019–24 के दौरान विभागवार सब्सिडियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्क लाईन	प्रवृत्ति
कृषि	518.17	164.30	219.58	496.76	497.77		
ऊर्जा	5,193.00	6,759.96	8,180.82	12,223.00	13,160.81		
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	618.13	578.77	720.56	629.93	822.24		
उद्योग	316.78	234.47	787.07	1,040.42	1,267.08		
परिवहन	177.17	122.57	89.01	96.18	26.15		
पशु एवं मत्स्य संसाधन	116.00	99.67	100.71	163.37	307.39		
अन्य	182.02	207.68	158.27	178.13	163.17		
सब्सिडी	**7,121.27**	**8,167.42**	**10,256.02**	**14,827.79**	**16,244.61**		
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.73	6.37	6.46	8.59	8.40		
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.65	5.86	6.44	8.06	8.53		

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.26** से देखा जा सकता है, वर्ष 2023–24 के लिए सब्सिडी राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.40 प्रतिशत, राज्य के स्व–राजस्व का 30.30 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 1.90 प्रतिशत थी। यह विगत वर्ष की तुलना में 9.70 प्रतिशत अधिक है।

81.02 प्रतिशत सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र को दी गई। विगत पाँच वर्षों (2019–24) के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023–24 के दौरान दी गई सब्सिडी की राशि इस अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। विगत पाँच वर्षों के दौरान सब्सिडी की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र को दी जा रही अधिकतम सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए, **तालिका 2.27** इस क्षेत्र को प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.27: 2019–2024 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को प्रदान की गई सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

इकाईयों के नाम	वर्ष				
	2019–20	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2023–24**
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	100.00	145.00	46.81
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	0.00	0.00	80.86	0.00	0.00
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	5,193.00	6,759.96	7,999.96	12,078.00	13,114.00
कुल	**5,193.00**	**6,759.96**	**8,180.82**	**12,223.00**	**13,160.81**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2022–23 के लिए दोनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रमाणित लेखों के अनुसार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ने ₹ 423.79 करोड़ का लाभ दर्ज किया जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) को ₹ 243.01 करोड़ का घाटा हुआ।

2.5.2.5 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता **तालिका 2.28** में दिखाई गई है।

तालिका 2.28: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगरपालिकाएँ	1,533.24	4,785.08	5,386.53	4,990.73	6,952.16
पंचायती राज संस्थाएँ	9,971.64	12,899.38	13,268.40	14,474.20	16,754.97
कुल (अ)	**11,504.88**	**17,684.46**	**18,654.93**	**19,464.93**	**23,707.13**
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	3,925.89	3,716.00	3,684.25	4,331.84	4,120.34
विकास प्राधिकरण	5,839.49	999.15	1,693.64	1,388.63	1,267.63
अन्य संस्थान	25,311.28	32,529.37	40,982.19	54,755.48	48,505.38
कुल (ब)	**35,076.66**	**37,244.52**	**46,360.08**	**60,475.95**	**53,893.35**
कुल (अ+ब)	**46,581.54**	**54,928.98**	**65,015.01**	**79,940.88**	**77,600.48**
वेतन पर सहायता अनुदान	19,666.33	17,788.65	23,813.12	28,092.73	26,627.08
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान	11,356.25	10,358.01	14,103.44	31,828.81	19,145.79
गैर–वेतन के लिए सहायता अनुदान	25,678.83	29,577.30	33,307.40	2,009.34	31,827.60
वस्तु के रूप में दिया गया सहायता अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी				
राजस्व व्यय	1,26,016.66	1,39,493.45	1,59,219.71	1,83,976.22	1,90,514.17
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	36.96	39.38	40.83	43.45	40.73
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता	37.50	42.86	41.57	46.29	40.14

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

स्थानीय निकायों (एल0बी0) और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता में विगत वर्ष की तुलना में 2.93 प्रतिशत की कमी आई है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह विगत वर्ष के राजस्व व्यय के 43.45 प्रतिशत से घटकर 40.73 प्रतिशत हो गया। यह सहायता राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 40.14 प्रतिशत थी और यह विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 6.15 प्रतिशत अंक से कम हो गई।

छठे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0)

राज्य सरकार ने 2020–25 के लिए छठे राज्य वित्त आयोग का गठन (फरवरी 2019) किया। आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों को राजकोषीय अंतरण की योजना बनानी थी। राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को करों और अनुदानों के अंतरण की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। इस प्रकार, यदि करों और अनुदानों के अंतरण का परिकलित मान न्यूनतम सीमा से कम हो जाता है, तो राज्य सरकार को स्थानीय निकायों को कम से कम न्यूनतम सीमा राशि अंतरित करनी होगी।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 2021– 22 से 2024–25 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रावधान के लिए 65:35 फॉर्मूला अपनाया। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 5,520 करोड़ (अंतरण ₹ 3,156 करोड़ और अनुदानः ₹ 2,364 करोड़), ₹ 3,588 करोड़ (65 प्रतिशत) पंचायती राज संस्थाओं के लिये और ₹ 1,932 करोड़ (35 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लिए थे।

अंतरण

राज्य सरकार को छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021–22 से 2024–25 तक की अवधि के लिए विभाज्य कोष (विगत वर्ष का राज्य का निवल स्व–कर राजस्व) के 10 प्रतिशत की दर से स्थानीय निकायों के अंतरण हेतु विनियोजित करना था। निधियों का अंतरण **तालिका 2.29** में देखा जा सकता है।

तालिका 2.29: 2023–24 के लिए करों का विभाज्य पूल

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमानित	वास्तविक (टी–1)
राज्य स्व–कर राजस्व (अ)	38,017	44,018
संग्रह करने की लागत 2.52 प्रतिशत की दर से (ब)	958	1,109
निवल राज्य स्व–कर राजस्व (अ–ब)	37,059	42,909
हस्तांतरण (एस0ओ0एन0टी0आर0 का 10 प्रतिशत)	3,706	4,291

(स्रोतः एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन एवं वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

हालाँकि, राज्य ने अनुशंसित ₹ 4,291 करोड़ की तुलना में केवल ₹ 3,156 करोड़ (अंतरण) प्रदान किए।

अनुदान

छठे राज्य वित्त आयोग ने 2021–25 की अवधि के दौरान वार्षिक अनुदान की राशि की गणना विगत वर्ष के निवल राजस्व (राज्य की समेकित निधि) के 2.50 प्रतिशत की दर से करने की सिफारिश की। अनुदान का 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को और शेष 50 प्रतिशत विभिन्न विभागों द्वारा उन योजनाओं पर व्यय किया जाना था जिनका उद्देश्य स्थानीय निकायों का विकास करना है। 2023–24 के दौरान, ₹ 5,439 करोड़ (₹ 2,17,552.81 करोड़ X 2.50 प्रतिशत) के अनुदान का प्रावधान किया जाना था, जैसा कि **तालिका 2.30** में उल्लेख किया गया है।

तालिका 2.30: 2023–24 में स्थानीय निकायों को अनुदान

(₹ करोड़ में)

अनुदान	एस0एफ0सी0 द्वारा अनुमानित राशि	राशि जिसका प्रावधान किया जाना था	प्रावधान की गई राशि
स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष (50 प्रतिशत)	2,363.50	2,719.50	1,182.00
विभागों द्वारा व्यय (50 प्रतिशत)	2,363.50	2,719.50	1,182.00
कुल	**4,727.00**	**5,439.00**	**2,364.00**

(स्रोतः एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन एवं वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने प्रावधान की जाने वाली राशि के विरुद्ध केवल ₹ 2,364 करोड़ (43.46 प्रतिशत) का प्रावधान किया।

स्थानीय निकाय को निधियाँ जारी करने में विलंब : 2023–24 के दौरान, प्रत्येक मद के लिए विमुक्ति आदेश दो किस्तों में जारी किए जाने थे, अर्थात; 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत की पहली किस्त और 31 अक्टूबर 2023 तक 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त। नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग के दिशानिर्देशों के विपरीत, 37 दिनों से 187 दिनों के विलंब से आदेश जारी किए गए थे।

पंचायती राज विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि प्रक्रिया का पालन करने में लगने वाले समय के कारण अनुदान विमुक्त करने में विलंब हुआ।

2.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी स्थायी बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। राज्य में पूँजीगत व्यय बजटीय सहायता

और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/गैर–बजट से पूरा किया जा रहा था। इसमें कंपनियों/निगमों में राज्य द्वारा किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पाँच वर्षों में राज्य में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.13** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.13: राज्य में पूँजीगत व्यय

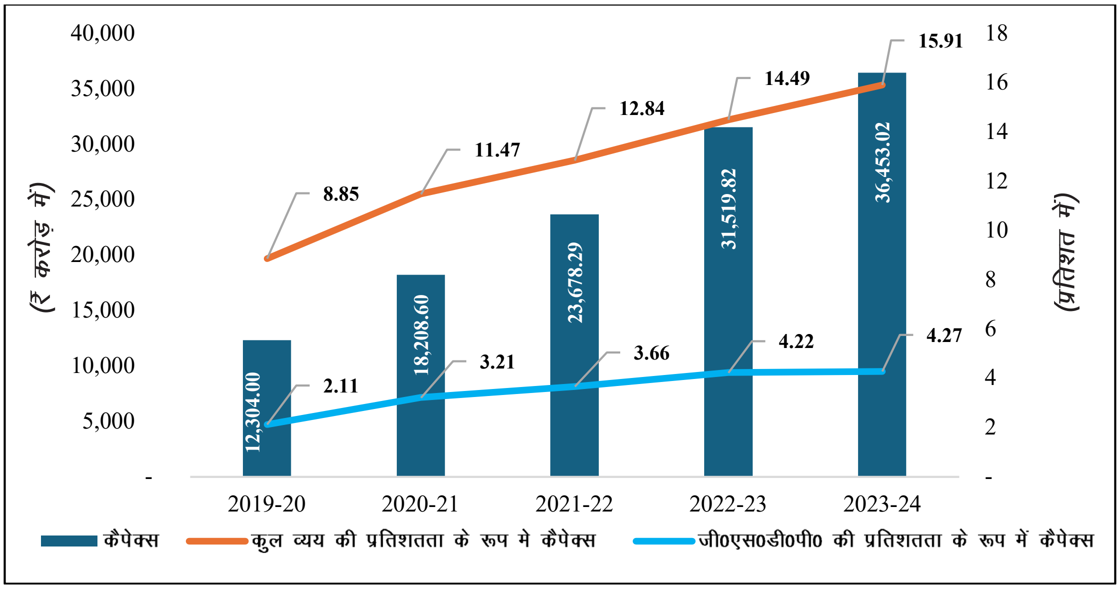

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.13 से, यह देखा जा सकता है कि:

i. 2023–24 के दौरान, कैपेक्स बजट अनुमानों और राज्य सरकार के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी, 2023 (₹ 29,257.31 करोड़) में किए गए अनुमान से 24.59 प्रतिशत अधिक था।

ii. विगत पाँच वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 2.11 प्रतिशत से 4.27 प्रतिशत के बीच रहा।

iii. वित्त लेखे के अनुसार, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए गए कुछ व्यय को गलत वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कैपेक्स का उस सीमा तक अतिश्योक्ति हुई **(कंडिका 2.5.3.5)**।

विगत पाँच वर्षों (2019–24) के दौरान, कैपेक्स का एक बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। 2023–24 के दौरान, कैपेक्स का ₹ 11,072 करोड़ (कुल कैपेक्स का 30.37 प्रतिशत) लोक लेखे में अंतरित किया गया। विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के **अध्याय** IV के **कंडिका 4.4** में शामिल है।

2.5.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान, राज्य के कैपेक्स के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को **तालिका 2.31** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 2.31: 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान कैपेक्स

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022–23	2023–24	वृद्धि (+)/ कमी (–)	प्रतिशत वृद्धि(+) /कमी (–)
4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,426.48	2175.00	(–) 251.48	(–) 10.36
4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	6,218.08	7,083.98	865.90	13.93
4059–लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,596.44	3,270.68	1,674.23	104.87
4801–उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,078.71	1,782.31	(–) 1,296.40	(–) 42.11
4851–ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	1,392.24	419.90	(–) 972.34	(–) 69.40
4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,207.61	2,852.38	1,644.77	136.20
4215– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	1,310.02	1,002.63	(–) 307.39	(–) 23.46
4202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,315.54	2,987.77	1,672.23	127.11
4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	983.93	2,202.41	1,218.48	123.84
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,067.39	1,442.51	375.11	35.14

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.31** से देखा जा सकता है:

(अ) निम्नलिखित के तहत व्यय में वृद्धि हुई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' में मुख्य रूप से 'इंजीनियरिंग कॉलेज भवनों (निश्चय) और सरकारी भवन निर्माण और सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों' पर व्यय में वृद्धि के कारण (ii) मुख्य शीर्ष लोक कार्य में मुख्य रूप से 'ब्लॉकों के भवनों (ग्रामीण विकास विभाग), स्टेडियम और खेल संरचना और सांस्कृतिक संरचना' पर व्यय में वृद्धि के कारण और (iii) मुख्य शीर्ष 'मुख्य सिंचाई' में मुख्य रूप से 'सिंचाई सृजन' परियोजना (कार्य) (नावार्ड सहायता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण परियोजना (कार्य)) और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबंधन के अन्तर्गत एवं जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम पर व्यय में वृद्धि के कारण।

(ब) निम्नलिखित के तहत व्यय में कमी आई थी:

(i) मुख्य शीर्ष 'विद्युत परियोजनाओं' मे मुख्य रूप से 'बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की परियोजना और हर खेत तक सिंचाई का पानी सात निश्चय–2' पर व्यय में कमी के कारण (ii) मुख्य शीर्ष 'चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य' में मुख्य रूप से 'डेंटल महाविद्यालय एवं अस्पताल' तथा 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन' पर व्यय में कमी के कारण और (iii) मुख्य शीर्ष 'ग्रामीण और लघु उद्योग'में मुख्य रूप से 'औद्योगिक पार्क के विकास' पर व्यय में कमी के कारण।

2.5.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल निवल मूल्य का क्षरण हो गया है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों और वित्तीय निगमों आदि जैसे अन्य निकायों को दिए गए ऋणों को बट्टे लेखे में डालने की अनिवार्यता को दर्शाया है। ऐसे वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

एस0पी0एस0ई0 में निवेश की गई शेयर पूँजी पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 2019–20 से 2023–24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति **तालिका 2.32** में दी गई है।

तालिका 2.32: निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
वर्ष के अंत में निवेश *(₹ करोड़ में)*	31,667.39	32,870.61	35,436.02	39,024.62	41,512.97
निवेश पर प्रतिफल *(₹ करोड़ में)*	1.62	603.01	6.54	1.49	9.51
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	1.83	0.02	0.00	0.02
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.07	5.94	5.70	5.51	5.62
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.06	4.11	5.68	5.51	5.60
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	**1,919.04**	**1,350.98**	**2,012.77**	**2,150.26**	**2,324.72**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
 # (वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिफल की दर के बीच का अंतर)/100

जैसा कि **तालिका 2.32** से देखा जा सकता हैः

i. 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने 46 सरकारी कंपनियों (₹ 38,271.59 करोड़), तीन वैधानिक निगमों (₹ 105.63 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 2,462.76 करोड़) और 17 सहकारी संस्थानों/समितियों (₹ 642.80 करोड़) में कुल ₹ 41,512.97 करोड़ का निवेश किया था। 46 सरकारी कंपनियों में से 22 कार्यरत कंपनियाँ हैं जहाँ ₹ 38,100.21 करोड़ का निवेश किया गया था और 24 अकार्यशील कंपनियाँ थीं जिनमें ₹ 171.38 करोड़ का निवेश किया गया था।

ii. चालू वर्ष के दौरान, बिहार सरकार ने अपनी पाँच संस्थाओं[6] में ₹ 2,488.35 करोड़ का निवेश किया, जिसमें से 73.07 प्रतिशत निवेश ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में किया गया, इसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बिहार सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान किए गए कुल निवेश का 23.71 प्रतिशत) का स्थान रहा।

iii. 2023–24 के दौरान, चार संस्थाओं[7] द्वारा ₹ 9.51 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण, विगत वर्ष की तुलना में आर0ओ0आई0 में ₹ 8.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

iv. सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल (विगत पाँच वर्षों में अधिकतम) पर राज्य सरकार को ₹ 2,324.72 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

v. 2019–20 से 2023–24 तक, एस0पी0एस0ई0 में निवेश में ₹ 9,845.58 करोड़ की वृद्धि हुई और इस पाँच साल की अवधि के दौरान ₹ 622.17 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। यह लाभांश विगत पाँच वर्षों के दौरान किए गए कुल निवेश का केवल 6.32 प्रतिशत था।

---

[6] *बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड (₹ 65.00 करोड़), बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के तहत निवेश उद्यम पूँजी (₹ 10.00 करोड़), पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (₹ 590.00 करोड़), अन्य सहकारी समितियाँ (₹ 5.04 करोड़) और बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (₹ 1,818.31 करोड़)।*

[7] *बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 2.10 करोड़); राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 0.01 करोड़); डेयरी को–ऑपरेटिव (₹ 5.76 करोड़) और अन्य सहकारी समितियाँ (₹ 1.64 करोड़)।*

राज्य ने घाटे में चल रहे दो एस0पी0एस0ई0 को शेयर/इक्विटी के रूप में 2023–24 तक ₹ 37,791.46 करोड़ की बजटीय सहायता दी, जैसा कि **तालिका 2.33** में दिखाया गया है।

तालिका 2.33: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी	समेकित हानि	वर्ष में किया गया निवेश	31 मार्च 2023 को समेकित निवेश	31 मार्च 2024 को समेकित निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.32	65.00	634.59	699.59
2	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	20,015.68	1,818.31	35,273.56	37,091.87
कुल		**20,031.00**	**1,883.31**	**35,908.15**	**37,791.46**

(स्रोतः वित्त लेखे 2023–24)

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

राज्य द्वारा ऋण और अग्रिम

सरकार ने कई सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों को ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं। विवरण **तालिका 2.34** में दिया गया है।

तालिका 2.34: 2019–20 से 2023–24 के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	30.40	820.43	27.92	41.49	95.93
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	21,450.23	21,743.77	23,194.36	25,209.64	27,249.57
निवल योग	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.92
प्राप्त ब्याज	0.88	3.90	5.68	8.65	269.41
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता नहीं लगाया जा सकता				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	7.58	7.12	6.56	6.20	6.31
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता नहीं लगाया जा सकता				

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.34 से यह देखा जा सकता है किः

i. विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम ने बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित की और 2019–20 में ₹ 666.30 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,135.86 करोड़ हो गया।

ii. वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों में से ₹ 1,689.82 करोड़ सरकारी कंपनियों को दिए गए, जो इस वर्ष के दौरान वितरित कुल ऋणों का 79.11 प्रतिशत है।

iii. वर्ष के दौरान, विभिन्न ऋणी समूहों को दिए गए ₹ 2,135.86 करोड़ के ऋणों और अग्रिमों में से ₹ 95.93 करोड़ ऋणों की चुकौती की गई है।

iv. ₹ 95.93 करोड़ की राशि के ऋणों के पुनर्भुगतान में से 56.22 प्रतिशत (₹ 53.94 करोड़) सरकारी कंपनियों द्वारा किया गया था।

v. 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध राज्य सरकार को प्राप्त ब्याज ₹ 269.41 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 260.76 करोड़ अधिक था।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण 18** के अनुसार, इसने 2023–24 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ता से 10.50 प्रतिशत से 11.36 प्रतिशत तक की दर से ब्याज लिया। तथापि, सरकार ने सभी मामलों में ऋण प्राप्तकर्ता को प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर (दरों) का खुलासा नहीं किया।

विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणी समूह–वार कुल संवितरण और ऋणों की पुनर्भुगतान **तालिका 2.35** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.35: विगत पाँच वर्षों (2019–20 से 2023–24) के दौरान ऋणी समूह–वार कुल संवितरण और ऋणों का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	कुल	
	संवितरण	पुनर्भुगतान
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	0.00	0.00
आवास बोर्ड	0.00	0.00
सरकारी कंपनियाँ	5,444.47	72.13
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	328.71	831.59
पंचायती राज संस्थाएँ	5.97	0.00
सांविधिक निगम	615.85	6.05
सरकारी कर्मचारी	116.98	100.79
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00
अन्य	939.43	5.61
कुल	**7,448.41**	**1,016.17**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.35 दिखाता है किः

i. 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान वितरित ₹ 7,448.41 करोड़ के ऋणों के मुकाबले, केवल ₹ 1,016.17 करोड़ का भुगतान किया गया।

ii. सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों, बैंकों, सांविधिक निगमों और सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण दिए गए।

iii. विगत पाँच वर्षों के दौरान, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों/बैंकों और सांविधिक निगमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की गति उनकी संवितरण की गति से अधिक थी। तथापि, सरकारी कंपनियों के मामले में, जिन्हें विगत पाँच वर्षों के दौरान 73.07 प्रतिशत ऋण संवितरित किए गए थे, वें संवितरित ऋणों का केवल 1.32 प्रतिशत ही विगत पाँच वर्षों के दौरान चुकाए।

iv. सरकारी कंपनियों से वसूली विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणी संस्थाओं से कुल वसूली का केवल 7.09 प्रतिशत है।

विभिन्न ऋणी समूहों से ब्याज बकाया की राशि **तालिका 2.36** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.36: 2019–24 की अवधि के लिए बकाया ब्याज भुगतान का ऋणी समूह–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नगर पालिकाएँ/नगर परिषदें/नगर निगम	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40
आवास बोर्ड	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
सरकारी कंपनियाँ	4,186.71	5,118.51	6,054.40	6,996.90	7,944.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	718.02	801.88	887.48	973.13	1,058.78
पंचायती राज संस्थाएँ	26.77	30.00	33.23	36.46	39.69
सांविधिक निगम	4,576.75	4,677.63	4,768.52	4,869.33	4,970.14
सरकारी कर्मचारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	685.14	817.04	948.94	1,079.65	1,210.36
कुल	**10,263.19**	**11,514.86**	**12,762.37**	**14,025.27**	**15,293.41**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.36** से देखा जा सकता है:

i. बकाया ब्याज भुगतान की कुल राशि बढ़ती प्रवृत्ति पर थी और 2019–20 से 2023–24 के बीच 49.01 प्रतिशत (₹ 5,030.22 करोड़) की वृद्धि हुई।

ii. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों/नगर निगमों और आवास बोर्डों से बकाया ब्याज भुगतान की राशि विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थिर रही है।

iii. सरकारी कंपनियों से प्राप्य ब्याज 51.95 प्रतिशत है, इसके बाद सांविधिक निगम (कुल वसूली योग्य ब्याज का 32.50 प्रतिशत) है। इन दोनों पर ऋणी समूह से कुल वसूली योग्य ब्याज का 84.45 प्रतिशत बकाया थे।

ब्याज का भुगतान न करने से न केवल ब्याज का संचय होगा बल्कि राज्य इन ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों पर ब्याज के अपने राजस्व से भी वंचित हो जाएगा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

2.5.3.3 निष्क्रिय ऋण लेखे

कुछ मुख्य शीर्षों के तहत, विगत वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित ₹ 1,915.99 करोड़ की राशि के ऋणों की बकाया शेष राशि (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) निष्क्रिय रही, अर्थात, विगत नौ वर्षों (वित्त वर्ष 2014–15 से 2023–24) के लिए न तो मूलधन और न ही किसी ब्याज का भुगतान किया गया। निष्क्रिय ऋण लेखों को **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: निष्क्रिय ऋण खाता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लेखा शीर्ष	2015–24
6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	70.04
6216	आवास के लिए ऋण	136.73
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	260.47
6408	खाद्य भंडारण और भंडारगृह के लिए ऋण	1,448.75
कुल		**1,915.99**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा इन बकाया ऋणों की उपयुक्त स्तरों पर समीक्षा की जाए और वसूली अथवा बट्टे लेखे में डालने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कदम उठाए जाएँ।

उपर्युक्त के अलावा, चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुछ अन्य बकाया ऋण जहाँ बकाया राशियों में केवल मामूली परिवर्तन हुआ था और उसके अंतर्गत पर्याप्त राशियाँ अभी भी निष्क्रिय थीं, **तालिका 2.38** में दी गई हैं।

तालिका 2.38: बकाया राशि में मामूली परिवर्तन के साथ ऋण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष[8]	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
6515	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	57.64	63.61
6801	15,445.86	15,520.91	15,745.26	15,571.40	15,622.97	15,865.97	15,943.10	16,034.13	16,118.02
6860	468.78	469.88	469.88	469.88	469.88	469.88	474.13	474.13	474.13
6885	314.08	314.08	314.07	314.06	314.05	314.05	334.05	334.05	334.04

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.38 दर्शाती है कि विगत आठ वित्तीय वर्षों के दौरान ऋणों की महत्वपूर्ण राशियाँ यथावत रहीं। इन राशियों का एक बड़ा हिस्सा विद्युत परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित था। वर्ष के दौरान, विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में ₹ 86.73 करोड़ दिए गए और केवल ₹ 2.85 करोड़ की वसूली की गई। राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 86.73 करोड़ में से डिस्काम को मुख्य शीर्ष 6801 के अंतर्गत (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ₹ 67.64 करोड़ प्रदान किए गए।

इसके अलावा, विभिन्न ऋण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 610.00 करोड़ की राशि ऋणात्मक शेष के रूप में पाई गई, जिसका समाधान आवश्यक है ***(परिशिष्ट–2.2)***। ये शेष राशि 2003–04 से आगे बढ़ाई जा रही थी। ऋणों के ऋणात्मक शेष की उचित स्तर पर समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो इस शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/समाशोधन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं।

एस0एफ0ए0आर0 के लिए प्रवेश सम्मेलन के दौरान, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार सरकार ने आश्वासन दिया कि इन राशियों का मिलान जल्द से जल्द किया जाएगा।

2.5.3.4 अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लम्बे समय के लिए परियोजनाओं के इच्छित लाभों से

---

[8] *6515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण, 6801–विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 6860–उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण और 6885–उद्योगों एवं खनिजों के लिए अन्य ऋण।*

वंचित रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों पर ऋण और ब्याज देयताओं की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त भार पड़ेगा। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.39** में दिखाया गया है (वित्त लेखा 2023–24 के ***परिशिष्ट–IX*** के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर)।

तालिका 2.39: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय हुआ
2013–14	1	2.37	–
2014–15	0	–	–
2015–16	0	–	–
2016–17	5	411.86	14.26
2017–18	3	12.71	–
2018–19	10	217.11	2.57
2019–20	23	637.64	45.96
2020–21	37	890.07	115.17
2021–22	32	1,215.09	334.40
2022–23	34	2,747.29	613.29
2023–24	209	3,519.84	886.83
कुल	**354**	**9,653.97**	**2,012.48**

31 मार्च 2024 तक अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग–वार रूपरेखा		
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (व्यय हुआ)
जल संसाधन	167	4,861.89
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	52	241.40
भवन निर्माण	70	2,901.94
सड़क निर्माण	46	1,611.74
ग्रामीण कार्य	15	28.64
स्थानीय क्षेत्र अभियांत्रिकी संगठन (योजना एवं विकास)	4	8.36
कुल	**354**	**9,653.97**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इन 354 चालू परियोजनाओं पर ₹ 9,653.97 करोड़ की अनुमानित लागत में से 2023–24 तक ₹ 2,012.48 करोड़ खर्च किए गए। इसलिए, इन 354 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 2,012.48 करोड़ का पूँजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

वित्त लेखे 2023–24 (राज्य सरकार द्वारा प्रदत) के ***परिशिष्ट–IX*** (सरकार की प्रतिबद्धताएँ–अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची) में अधूरी जानकारी के कारण, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2024 तक वास्तविक प्रगतिशील व्यय, कार्य की भौतिक प्रगति, लंबित भुगतान की स्थिति (भविष्य की देयता) और संशोधित लागत, यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.5.3.5 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मोटे तौर पर एक यथार्थपूर्ण और स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण/वृद्धि करने या स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई के संचालन सहित और इसकी परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2023–24 के दौरान, पूँजीगत खण्ड के बजाय राजस्व खण्ड के तहत ₹ 0.21 करोड़ और राजस्व खण्ड के बजाय पूँजीगत खण्ड के तहत ₹ 22.53 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था।

राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण पूँजीगत व्यय में ₹ 22.32 करोड़ की वृद्धि हुई और राजस्व व्यय में ₹ 22.32 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, इसने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला।

2.5.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (कुल व्यय एक श्रेणी के तहत के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल व्यय के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय (सी0ई0) के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 2.40** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: 2023–24 में स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए0ई0* / जी0एस0डी0पी0	सी0ई0 / ए0ई0	शिक्षा / ए0ई0	स्वास्थ्य / ए0ई0
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2018–19)	16.38	14.04	14.76	5.07
राज्य	27.92	14.28	19.31	4.96
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2023–24)	15.66	15.38	14.36	5.71
राज्य	26.81	15.91	19.07	5.68

(स्रोतः सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार और वित्त लेखे)
*ए0ई0–कुल व्यय

तालिका 2.40 से यह देखा जा सकता है कि 2023–24 के दौरान, स्वास्थ्य पर व्यय को छोड़कर राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ऊपर थीं।

2.5.5 विषय शीर्षवार व्यय

2023–24 के लिए वस्तु शीर्ष–वार व्यय को **चार्ट 2.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: विषय शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)

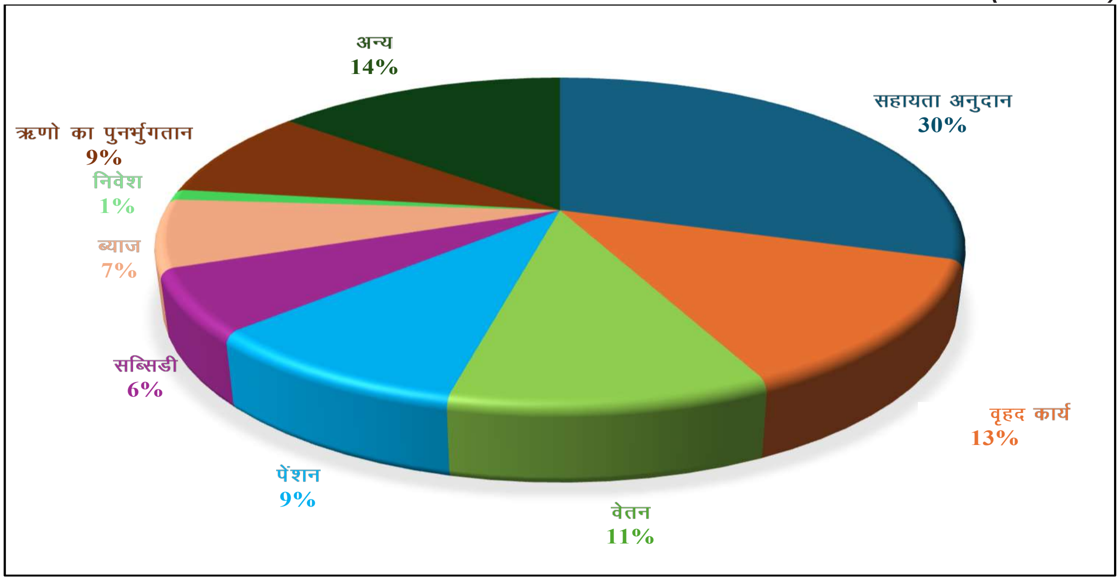

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

2.6 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा

में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इन मामलों में बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध निधि होती है।

2.6.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखे में संबंधित पाँच वर्षों के मार्च के अंत में घटक–वार निवल शेष **तालिका 2.41** में दिया गया है।

तालिका 2.41: संबंधित वर्षों के लोक लेखे में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
आई.–लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	190.40	166.29	76.28	(–) 124.77	(–) 255.76
जे.– आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधि	522.95	378.12	140.42	1,585.11	1,222.72
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.00	(–) 26.32	0.00	0.00	0.00
के.– जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	202.65	(–) 75.05	(–) 57.17	40.52	(–) 247.91
	(ब) ब्याज रहित जमा	1,509.34	4,336.01	(–) 1,543.24	363.64	1,476.52
	(स) अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एल.– उचंत और विविध	(अ) उचंत (सिविल)	(–) 5,773.58	(–) 4,879.88	(–) 238.38	1,199.82	8,804.89
	(ब) अन्य लेखे	(–) 2,735.55	(–) 191.23	(–) 4,148.08	7,961.19	(–) 12,655.59
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये खाते	(–) 0.01	(–) 0.01	(–) 0.01	0.00	0.00
एम.– प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	(–) 2.44	4.37	(–) 7.53	0.00	(–) 2.36
	(ब) अंतर्सरकारी समायोजन लेखा	(–) 794.07	794.07	0.00	0.00	(–) 0.01
कुल		**(–) 6,880.31**	**506.37**	**(–) 5,777.71**	**11,025.51**	**(–) 1,657.51**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान, ₹ (–) 1,657.51 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियों का राज्य के कुल संसाधनों में नकारात्मक योगदान था। निवल लोक लेखा भुगतान में प्रमुख घाटा उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में ₹ (–)12,655.59 करोड़ देखा गया जिसकी वजह 'नकद शेष निवेश लेखा' के अंतर्गत प्राप्तियों की तुलना में अधिक संवितरण ₹ (–)12,692.26 करोड़ थी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन (दिसंबर 2024) पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

2.6.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। इन निधियों को राज्य की समेकित निधि से अंशदान या अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत में राज्य सरकार के पास चार आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज वाली और एक ब्याज रहित) थी। 31 मार्च 2024 के अंत में, इन निधियों के तहत कुल समेकित शेष राशि ₹ 12,343.97 करोड़ थी। आरक्षित निधियों का विवरण **तालिका 2.42** में दिया गया है।

तालिका 2.42: आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 को शेष
अ	**ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ**	**3,849.31**
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2,800.04
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि	289.47
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	759.80
ब	**बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि**	**8,494.66**
1	निक्षेप निधि	8,494.66
कुल योग		**12,343.97**

(स्रोतः 2023–24 के वित्त लेखे)

आरक्षित निधि के तहत ₹ 3,863.26 करोड़ की कुल प्राप्तियों के मुकाबले, केवल ₹ 1,174.01 करोड़ का वितरण किया गया, जिससे विगत वर्ष की तुलना में आरक्षित निधि में ₹ 2,689.25 की वृद्धि हुई।

2.6.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा–निर्देश, जो निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। निधि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और निवेश का ब्यौरा वित्त लेखे के **विवरण–22** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2008–09 में केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0) की स्थापना की और वर्ष 2014–15 से इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। 2023– 24 के दौरान, बिहार सरकार ने आवश्यक ₹ 1,292.80 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 2,08,098.10 करोड़ + विगत वर्ष का लोक लेखा: ₹ 50,461.44 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के मुकाबले सी0एस0एफ0 में ₹ 1,466.54 करोड़ (वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.57 प्रतिशत) का योगदान दिया।

31 मार्च 2024 तक निधि के तहत ₹ 10,486.99 करोड़ (मूलधनः ₹ 8,494.66 करोड़ + ब्याजः ₹ 1,992.33 करोड़) की कुल राशि थी, जो विगत वर्ष के ₹ 8,320.73 करोड़ के संचित शेष से 26.03 प्रतिशत अधिक थी।

2.6.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करें। अंशदान को लोक लेखा के मुख्य शीर्ष–8121 में अंतरित किया जाना है और व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष–2245 से किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज का भुगतान करना होता है। ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और न्यूनीकरण के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों, एस0डी0एम0एफ0 आदि से किया जाना होता है।

भारत सरकार ने ₹ 1,248.80 करोड़ का योगदान दिया और राज्य सरकार ने 2023–24 में एस0डी0आर0एफ0 को ₹ 416.00 करोड़ का अपना हिस्सा जारी किया। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–122 एस0डी0आर0एफ0 के अंतर्गत ₹ 1,698.57 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 1,248.80 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 416.00 करोड़ और एस0डी0आर0एफ0 की निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹ 33.77 करोड़) निधि को हस्तांतरित किए। इस ₹ 1,698.57 करोड़ में से ₹ 586.40 करोड़ की राशि एस0डी0आर0एफ0 से खर्च की गई और उसमें से ₹ 1,000.00 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। 31 मार्च 2024 तक एस0डी0आर0एफ0 के तहत शेष राशि ₹ 2,800.04 करोड़ थी।

राज्य सरकार को 2023–24 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) के लिये भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

2.6.2.3 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0)

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1)(सी) के तहत किया जाना था। यह निधि विशेष रूप से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 दिशा–निर्देशों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में न्यूनीकरण परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए है।

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत जुलाई 2022 में एस0डी0एम0एफ0 बनाया। केन्द्र और राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। वर्ष 2023–24 के दौरान एस0डी0एम0एफ0 के तहत केंद्र सरकार से ₹ 304.80 करोड़ प्राप्त हुए और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 101.60 करोड़ था।

राज्य सरकार ने ₹ 611.30 करोड़ (केंद्रीय हिस्साः ₹ 453.50 करोड़ जिसमें विगत वर्ष 2022–23 का ₹ 148.70 करोड़ शामिल हैं; राज्य का हिस्साः ₹ 151.20 करोड़ जिसमें विगत वर्ष 2022–23 का ₹ 49.60 करोड़ शामिल हैं और एस0डी0एम0एफ0 में निवेशित राशि से प्राप्त ब्याज ₹ 6.60 करोड़) एस0डी0एम0एफ0 के मुख्य शीर्ष 8121–130 तहत निधि में अंतरित किया। निधि से क्रमशः ₹ 223.52 करोड़ और ₹ 200.00 करोड़ की राशि खर्च और निवेश की गई, जिसमें 31 मार्च 2024 को ₹ 759.80 करोड़ का अंतशेष बचा था।

2.6.2.4 गारंटी मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को गारंटी मोचन निधि (जी0आर0एफ0) का सृजन करना था और चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों, जैसा कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा निर्धारित लेखा बही में दर्शाया गया है, के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना था। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है। राज्य जी0आर0एफ0 में निवेश की गई वृद्धिशील निधियों के बदले आर0बी0आई0 से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा भी प्राप्त कर सकता हैं।

राज्य सरकार ने न तो जी0आर0एफ0 का गठन किया और न ही उसने गारंटियों पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए थे। इस प्रकार, राज्य सरकार ने जी0आर0एफ0 में ₹ 129.70 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं दिया (वर्ष 2023–24 की शुरुआत में ₹ 25,939.25 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत)। जी0आर0एफ0 में अंशदान न करने से राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा साथ ही राज्य का राजस्व अधिशेष उस सीमा तक बढ़ गया।

2.6.2.5 राज्य की समेकित निधि/लोक लेखे से बाहर की निधि

भारत का संविधान के अनुच्छेद 266(1) तथा अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन प्रावधान है, कि किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राजकोषीय बिल, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उस सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों कि एक समेकित निधि बनेगी जो "राज्य की समेकित निधि" होंगी। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशि, जैसा भी मामला हो, राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार ने विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यय को पूरा करने हेतु विभिन्न उपकर/लेवी लगाई। लेखापरीक्षा संबंधित विभागों द्वारा लगाए जा रहे उपकरों के संबंध में सूचना/आँकड़ें एकत्र किए जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

असंगठित क्षेत्र के सन्निर्माण कामगारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 तैयार किए हैं, जिनका अनुसरण करते हुए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 और नियम (संशोधन) 2016 राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के आलोक में, बिहार सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए फरवरी 2008 के महीने में बिहार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निधि प्रदान करना है। बोर्ड राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्ध–सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत की दर से निधियाँ एकत्र करता है।

विभागों ने उपकर की वसूली मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक निर्माण जमा के अंतर्गत दर्ज की, जिसमें उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए, श्रमिकों से जुड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र किए गए उपकर की बुकिंग के लिए जून 2019 में सरकार द्वारा एक अलग उप–शीर्ष (8443–00–108–0004) खोला गया। हालाँकि, खोला गया उप–शीर्ष, 31 मार्च 2024 तक कार्यरत नहीं था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2019–20 से 2023–24 के दौरान उपकर के संग्रह और बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को इसके हस्तांतरण की राशि **तालिका 2.43** में नीचे दर्शायी गयी है।

तालिका 2.43: बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का संग्रहण एवं अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित	अंतरित	गैर–अंतरित राशि
2019–20	89.9	0.14	89.76
2020–21	116.97	31.44	85.53
2021–22	122.23	51.41	70.82
2022–23	104.95	92.91	12.04
2023–24	119.61	153.98	(–) 34.37
कुल	**553.66**	**329.88**	**223.78**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.43 से पता चलता है कि सरकार ने बी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 बोर्ड को ₹ 153.98 करोड़ अंतरित किए, जिसमें विगत वर्षों की अंतरित नहीं की गई राशि भी शामिल थी, जबकि चालू वर्ष के दौरान ₹ 119.61 करोड़ एकत्र किए गए थे। मार्च 2024 तक ₹ 223.78 करोड़ का अंतरित नहीं की गई शेष, राज्य की देयता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, इस अंतरित नहीं की गई राशि के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक बढ़ गया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन (एम0वी0) कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 ए के प्रावधानों के तहत, अधिनियम में निर्दिष्ट दर के अनुसार सड़क सुरक्षा उपकर लगाया और एकत्र किया जाना है। अधिनियम की धारा 6 बी के प्रावधानों के तहत, सड़क सुरक्षा उपकर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए, राज्य सरकार ने (मार्च 2017) "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" की स्थापना की है।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने (03/2017), 0041–00–102–0002– उपकर की प्राप्ति के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर लगाने से प्राप्तियों' और 2041–00–101–0005– नामित मुख्य शीर्षों के तहत व्यय करने के लिए मुख्य लेखा शीर्ष के रूप में 'सड़क सुरक्षा उपकर (आर0एस0सी0) से प्राप्तियों का योगदान' अधिसूचित किया।

2019–2024 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 733.01 करोड़ (0041–00–102–0002–सड़क सुरक्षा उपकर) का सड़क सुरक्षा उपकर एकत्र किया। इस अवधि के दौरान इसमें से केवल ₹ 63.47 करोड़ का व्यय किया गया (2041–00–101–0005–सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्तियों का अंशदान) जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ एकत्र हो गईं। इसके अलावा, 2023–24 में ₹ 164.35 करोड़ अंतरित नहीं किये जाने के कारण राजस्व अधिशेष का अतिकथन और राजकोषीय घाटा का अवकथन उस सीमा तक था।

अन्य उपकर

2023–24 के दौरान, सरकार ने ₹ 1.49 करोड़ (2022–23: ₹ 1.26 करोड़ और 2021–22: ₹ 1.28 करोड़) का भूमि उपकर एकत्र किया। हालाँकि, सरकार ने उपकर एकत्र किया, लेकिन उसने 31 मार्च 2024 तक इसके लिए एक कोष स्थापित नहीं किया है।

इसके अलावा, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, *लगान* पर लगाए गए चार उपकर अर्थात् स्वास्थ्य (50 प्रतिशत), शिक्षा (50 प्रतिशत), सड़क (25 प्रतिशत) और कृषि (20 प्रतिशत) वसूल कर रहा था।

यद्यपि उपर्युक्त उपकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जा रहे थे, इन उपकरों के लिए कोई अलग से लेखा शीर्ष संचालित नहीं किए जा रहे थे, जिसके अभाव में, वास्तविक संग्रह के ब्यौरे और इन उपकरों के उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका।

राज्य में लगाए जा रहे और संग्रहित किए जा रहे उपकरों की कुल संख्या के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया गया लेकिन संबंधित सूचना सरकार से प्राप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन0एम0ई0टी0)

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एन0एम0ई0टी0) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) – एम0एम0डी0आर0 अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी(1) (2015 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित) के तहत की गई। अधिनियम की धारा 9 सी(4) में कहा गया है कि खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक ट्रस्ट को दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से करेगा।

एन0एम0ई0टी0 नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि न्यास निधि में एकत्र की गई राशि को इकट्ठा करने और जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक लेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियम 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9सी की उप–धारा (4) के अनुसरण में भुगतान की गई राशि और मासिक आधार पर भारतीय खान ब्यूरो को रॉयल्टी भुगतान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

लेखा प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार रॉयल्टी प्राप्त होने पर संपूर्ण प्राप्ति को मुख्य शीर्ष 0853–102–खनिज रियायतें, शुल्क और रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत करती है। इसके बाद अपेक्षित राशि राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8449–123–एन0एम0ई0टी0 की अंतर्गत अंतरित की जाती है। तत्पश्चात् भारत के लोक लेखा के अंतर्गत एन0एम0ई0टी0 अभिवृद्धि को आवधिक रूप से अंतरित की जाती है। एन0एम0ई0टी0 निधि, जो गैर–व्यपगत और गैर–ब्याज वाला निधि है, भारत के लोक लेखे के तहत बनाया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने खनिज रियायतों, शुल्क और रॉयल्टी के माध्यम से ₹ 3,117.85 करोड़ (एम0एच0 0853–102) की रॉयल्टी एकत्र की। इस प्रकार, इस राशि का दो प्रतिशत अर्थात ₹ 62.36 करोड़ एन0एम0ई0टी0 में जमा किया जाना था। तथापि, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8449–अन्य जमा–123–राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास जमाओं के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ जमा कराए हैं।

राज्य के समेकित निधि से लोक लेखा में ₹ 62.00 करोड़ के अल्प अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय और नकदी शेष, राजस्व अधिशेष के साथ–साथ राजकोषीय घाटे प्रत्येक इस सीमा तक कम हो गया।

2.7 लोक दायित्व प्रबंधन

लोक दायित्व प्रबंधन सरकार की देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है ताकि आवश्यक धन राशि जुटाई जा सके, इसके जोखिमों और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हों।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार की बकाया देनदारियाँ (आंतरिक देनदारियाँ, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देनदारियाँ) ₹ 3,32,740.90 करोड़ हैं। सकल राजकोषीय घाटा (₹ 35,659.88 करोड़) 2023–24 में बजट अनुमानों (₹ 25,567.83 करोड़) के मुकाबले ₹ 10,092.05 करोड़ बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 18,054.08 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 7,213.39 करोड़) से ₹ 10,840.69 करोड़ बढ़ गया। बढ़े हुए घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। परिणामस्वरूप, 2023–24 में बकाया देनदारियाँ ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं।

विगत वर्ष की तुलना में बकाया देनदारियों में 13.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि (14.47 प्रतिशत) से कम थी। राज्य की बकाया देनदारियों का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.15: जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया देनदारियाँ

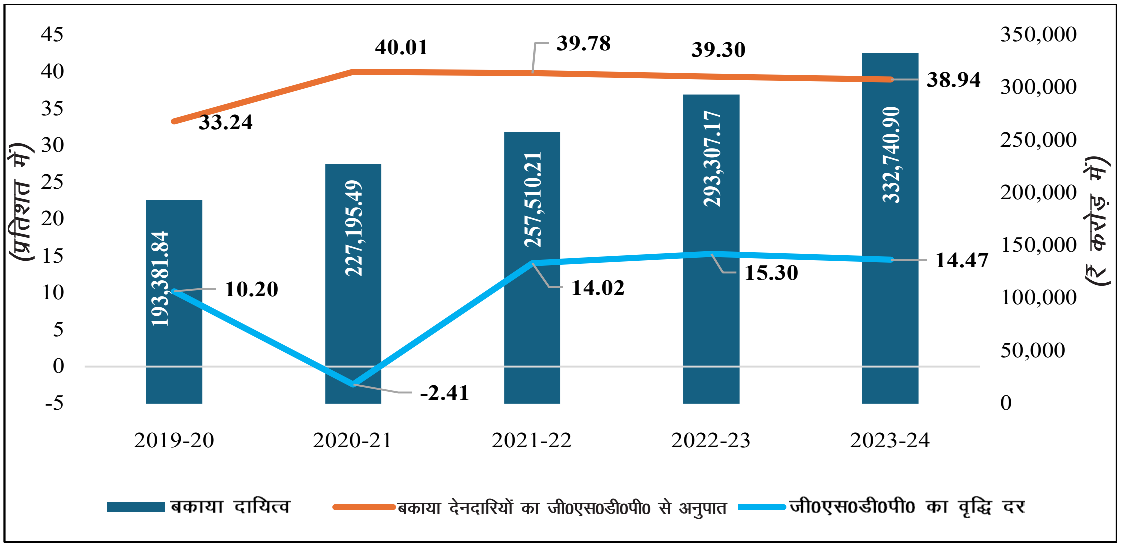

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं एम0ओ0एस0पी0आई0)

चार्ट 2.15 से पता चलता है कि 2019–20 से 2023–24 के दौरान राज्य की बकाया देनदारियों में 72.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, राज्य के जी0एस0डी0पी0 में 46.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात, राज्य की बकाया देनदारियों की वृद्धि दर इसकी जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है, हालाँकि चालू वर्ष के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में ऋण में 0.36 प्रतिशत अंक की कमी आई।

2.7.1 दायित्व की रूपरेखा: घटक

राज्य के कुल दायित्व में शामिल आंतरिक दायित्व (बाजार ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा को **तालिका 2.44** में बताया गया है।

तालिका 2.44: घटक–वार दायित्व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
बकाया कुल दायित्व		1,93,381.85	2,27,195.51	2,57,510.21	2,93,307.17	3,32,740.90
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,36,082.09	1,59,557.50	1,82,855.32	2,08,098.10	2,36,205.15
	भारत सरकार से ऋण	12,098.16	17,657.35	26,057.96	34,747.63	43,878.74
लोक लेखे पर देयताएँ		**45,201.60**	**49,980.66**	**48,596.93**	**50,461.44**	**52,657.01**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि।		9,279.09	9,445.38	9,521.65	9,396.88	9,141.12
ब्याज सहित आरक्षित निधि		522.95	901.07	1,041.49	2,626.60	3,849.32
ब्याज रहित आरक्षित निधि		26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज सहित जमा		349.33	274.29	217.11	257.63	9.72
ब्याज रहित जमा		35,023.91	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85
गैर बजट उधारी [$]		–	–	1,482.50	686.77	53.48
बकाया समग्र दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		14.48	17.49	13.34	13.90	13.44

	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
देयताएँ / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)#	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
कुल ऋण प्राप्तियाँ	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
कुल ऋण पुनर्भुगतान	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.46
कुल ऋण उपलब्ध	24,460.53	33,813.64	30,314.71	35,796.96	39,433.73
ऋण पुनर्भुगतान / ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	74.03	68.82	74.21	72.45	75.77

(स्रोतः वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0 से प्राप्त आँकड़े)
$ बकाया समग्र देयताओं में गैर–बजट उधारों को शामिल नहीं किया गया।
 # जी0एस0डी0पी0 की तुलना में देयता अनुपात 38.94 प्रतिशत है, जिसकी गणना गैर–बजट उधारों को छोड़कर की गई है।

तालिका 2.44 से यह देखा जा सकता है किः

i. जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया देनदारियाँ अनुपात 2019–24 के दौरान 33.24 प्रतिशत से 40.01 प्रतिशत के बीच थीं। विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य की समग्र देनदारियाँ बढ़ रही हैं। समग्र देनदारियों का प्रमुख घटक आंतरिक ऋण था जो चालू वर्ष के दौरान 70.99 प्रतिशत था। समग्र देनदारियों में ₹ 2,14,418.05 करोड़ का बाजार ऋण एक मुख्य घटक (90.78 प्रतिशत) था जो यह दर्शाता है कि सरकार अपने ऋणों के वित्तपोषण के लिए बाजार ऋण पर निर्भर है।

ii. राज्य की जी0एस0डी0पी0 की तुलना में देनदारियाँ अनुपात (38.94 प्रतिशत) पंद्रहवें वित्त आयोग की सीमा (40.40 प्रतिशत) के भीतर थीं।

iii. लोक लेखे की बकाया देनदारियों में विगत वर्ष की तुलना में 4.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जी0एस0डी0पी0 का 6.16 प्रतिशत और बकाया समग्र देनदारियों का 15.83 प्रतिशत था। लोक लेखा देनदारियों में 2019–20 से 2023–24 तक 16.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विगत पाँच वर्षों की अवधि में 2023–24 में सबसे अधिक थी। लोक लेखा देनदारियों के प्रमुख घटक 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' और 'ब्याज रहित जमा' थी, क्योंकि दोनों ही कुल लोक लेखा देनदारियों का 92.67 प्रतिशत और बकाया समग्र देनदारियों का 14.67 प्रतिशत थे।

iv. बकाया समग्र देनदारियाँ 13.44 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थीं। परिणामस्वरूप, बकाया समग्र देनदारियाँ 2022–23 में ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं।

v. चालू वर्ष के दौरान, बिहार सरकार ने ₹ 1,62,725.19 करोड़ का ऋण लिया और ₹ 1,23,291.46 करोड़ ऋण का पुनर्भुगतान किया, अर्थात, चालू वर्ष की 75 प्रतिशत से अधिक उधारी का उपयोग पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों में से औसतन 73 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया। पहले की देनदारियों के पुनर्भुगतान पर व्यय करने के लिए पुनः ऋण लेना लंबे समय में बोझ बन सकता है क्योंकि यह मूलधन और उस पर ब्याज की पुनर्भुगतान की देनदारियाँ बनाता है।

चार्ट 2.16 2019–20 से 2023–24 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की मात्रा की तुलना में चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में अदायगी

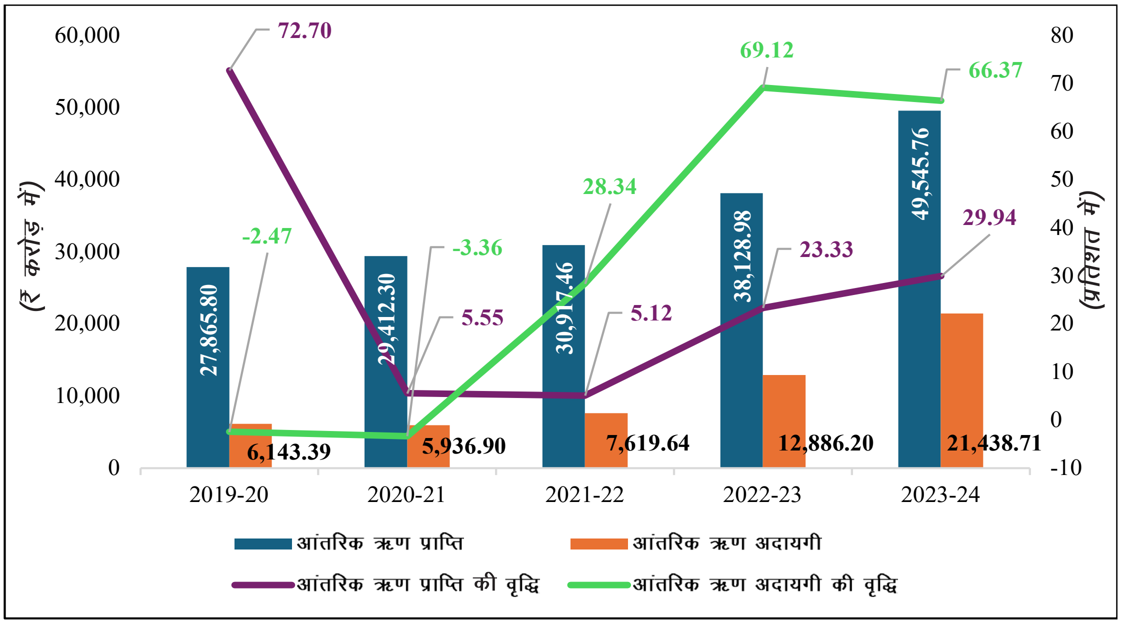

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16 2019–24 के दौरान आंतरिक ऋण की नियमित वृद्धि को दर्शाता है। 2023–24 के दौरान, हालाँकि आंतरिक ऋण की अदायगी में 66.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह विगत वर्ष की तुलना में 2.75 प्रतिशत अंक कम था। आंतरिक ऋण की राशि विगत वर्ष की तुलना में 29.94 प्रतिशत अधिक थी, और यह विगत वर्ष की तुलना में 6.61 प्रतिशत अंक अधिक थी। 2019–20 से 2023–24 तक आंतरिक ऋण प्राप्तियों में 77.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसी अवधि के दौरान आंतरिक ऋण अदायगी में 248.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चालू वर्ष के उधारियों में से 43.27 प्रतिशत का उपयोग पूर्व के वर्षों में लिए गए आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया है। आंतरिक ऋण में से पूर्ववर्ती ऋण के अधिक पुनर्भुगतान के कारण उत्पादक व्यय में संकुचन हुआ।

2.7.1.1 राजकोषीय घाटे के घटकों के वित्तीय स्वरूप

सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय ऋण एवं अग्रिम सहित राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों का अधिक होना है। राजकोषीय घाटा सरकार की निवल वृद्धिशील देनदारियों या इसके अतिरिक्त उधारों को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे के ब्यौरे से पता चलता है कि राजस्व और गैर–ऋण प्राप्तियों के अलावा निधियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा सीमा तक विभिन्न उधार लिए गए हैं।

2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे की संरचना और वित्तपोषण **तालिका 2.45** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.45: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (–)	(–) 1784.13	(–) 11,325.11	(–) 422.38	(–) 11,288.20	2,833.06
2	निवल पूँजीगत व्यय	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	635.9	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप						
1	बाजार उधारी	22,572.54	24,684.91	24,517.46	27,700.00	30,142.94
2	भारत सरकार से ऋण	312.79	5,559.19	8,400.61	8,689.67	9,131.11
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	(–) 1,888.35	(–) 1,888.35	(–) 1,888.35	(–) 1,888.35	(–) 1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,038.22	678.85	668.71	(–) 568.87	(–) 147.54
5	लघु बचत, पी0एफ0, आदि।	190.4	166.29	76.28	(–) 124.77	(–) 255.76
6	जमा एवं अग्रिम	1,711.99	4,260.96	(–) 1,600.41	404.16	1,228.61
7	उचंत और विविध	(–) 5,709.73	(–) 4,832.74	(–) 141.89	1,163.65	8,840.22
8	प्रेषण	(–) 796.50	798.44	(–) 7.53	–	(–) 2.38
9	आरक्षित निधि	1,367.94	351.8	140.42	2,873.11	2,689.26
10	**समग्र घाटा**	**18,799.30**	**29,779.35**	**30,165.30**	**38,248.60**	**49,738.11**
11	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद शेष में वृद्धि/कमी	(–) 4,075.37	47.90	(–) 4,614.02	6,574.70	(–) 14,078.23
12	**राजकोषीय घाटा**	**14,723.93**	**29,827.25**	**25,551.28**	**44,823.30**	**35,659.88**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य ने ₹ 35,659.88 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जिसे मुख्य रूप से बाजार उधारी और भारत सरकार से प्राप्त ऋण के माध्यम से वित्तपोषण किया गया।

2.7.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों, डोमर दृष्टिकोण और संबंधित एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्यों के लिए वृहत्–राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है:

(अ) ऋण स्थिरता सूचक

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। इसलिए ऋण की स्थिरता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी इंगित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं।

तालिका 2.46 2019–24 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतक प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.46: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	ऋण स्थिरता संकेतक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	समग्र देनदारियाँ या समग्र ऋण	1,93,381.85	2,27,189.51	2,57,510.23	2,93,307.16	3,32,740.90
1अ	बिना ब्याज वाले ऋण (आरक्षित निधि और जमा)	35,050.23	39,359.92	37,816.68	38,180.33	39,656.85
1ब	समग्र देयता या समग्र ऋण (बिना ब्याज वाले ऋण को छोड़कर)	1,58,331.62	1,87,829.59	2,19,693.55	2,55,126.83	2,93,084.05
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.48	17.48	13.35	13.90	13.44
3	जी0एस0डी0पी0 (सांकेतिक)	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
4	**सांकेतिक जी0एस0डी0पी0 वृद्धि (प्रतिशत)**	**10.20**	**(–) 2.41**	**14.02**	**15.30**	**14.47**
5	**समग्र ऋण/ जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)**	**33.24**	**40.01**	**39.78**	**39.30**	**38.94**
6	सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा (लोकलेखा के तहत देनदारियों को छोड़कर, यदि कोई हो)	1,48,130.14	1,73,097.61	1,98,259.56	2,32,204.75	2,69,450.10
6अ	0–2 वर्ष	15,455.99	22,132.78	36,011.24	43,536.45	43,394.54
6ब	2–5 वर्ष	36,502.65	63,975.81	63,928.72	64,344.71	64,346.68
6स	5–10 वर्ष	86,138.74	76,311.33	87,803.98	1,05,820.84	1,07,359.39
6द	10 वर्षों से अधिक	10,032.76	10,677.69	10,515.62	18,502.75	54,349.49
7	सकल उधार (क्रम संख्या 1 के अनुसार समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
8	उधार की अदायगी (मूलधन और ब्याज भुगतान सहित समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	80,724.01	87,102.68	1,01,034.79	1,09,337.17	1,40,897.26
9	सकल उधार का पुनर्भुगतान (प्रतिशत) (8/7×100)	85.70	80.33	85.97	84.14	86.59
10	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	14.30	19.67	14.03	15.86	13.41
11	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.03	13,821.93	15,183.54	17,605.80
12	**समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर (प्रतिशत)**	**6.94**	**6.65**	**6.29**	**5.95**	**6.01**
13	राजस्व प्राप्तियाँ (आर0आर0)	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688	1,93,347
14	राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976	1,90,514
15	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.85	9.74	8.70	8.79	9.11

क्र0 सं0	ऋण स्थिरता संकेतक	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
16	**प्राथमिक राजस्व शेष (पी0आर0बी0) (13–14+11)**	**9,207.42**	**1,159.03**	**13,398.93**	**3,895.54**	**20,438.80**
17	**राजकोषीय शेष**	**(–) 14,723.93**	**(–) 29,827.25**	**(–) 25,551.26**	**(–) 44,823.30**	**(–) 35,659.88**
18	**प्राथमिक शेष (पी0बी0) (17+11)**	**(–) 3,732.51**	**(–) 17,343.22**	**(–) 11,729.33**	**(–) 29,639.76**	**(–) 18,054.08**
19	**प्राथमिक शेष/ जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)**	**(–) 0.64**	**(–) 3.05**	**(–) 1.81**	**(–) 3.97**	**(–) 2.11**
20	बकाया ऋण एवं अग्रिम वितरित	666.30	1,113.97	1,478.51	2,056.77	2,135.86
21	बकाया ऋण और अग्रिमों संवितरित पर ब्याज प्राप्तियाँ	0.88	3.90	5.68	8.65	269.41
22	निवेश पर प्रतिफल	0.08	0.44	0.44	0.49	12.85
23	समग्र देनदारियों पर ब्याज की प्रभावी दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर	(–) 6.86	(–) 6.21	(–) 5.85	(–) 5.46	6.84
24	तरलता प्रबंधन (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	**ब्याज/दर स्प्रेड (जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर – ब्याज दर)**	**3.26**	**(–) 9.06**	**7.73**	**9.35**	**8.46**
26	**क्वांटम स्प्रेड (ऋण × ब्याज स्प्रेड)**	**5,161.61**	**(–) 17,017.36**	**16,982.31**	**23,854.36**	**24,794.91**
27	**ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)**	**1,429.10**	**(–) 34,360.58**	**5,252.98**	**(–) 5,785.40**	**6,740.83**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
वितरित ऋण एवं अग्रिमों की वसूली के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

तालिका 2.46 से देखा जा सकता है किः

i विगत तीन वर्षों के दौरान, समग्र ऋण की वृद्धि दर जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से कम रही है। जी0एस0डी0पी0 अनुपात में राज्य का समग्र ऋण (देयता) 2020–21 में 40.01 प्रतिशत से गिरकर 2023–24 में 38.94 प्रतिशत हो गया था, जो इस अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था। जी0एस0डी0पी0 अनुपात में घटते ऋण को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। राज्य ने कभी भी आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0) और ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है, जो इसके कुशल वित्तीय तरलता प्रबंधन को दर्शाता है।

ii प्राथमिक शेष (पी0बी0) विगत वर्ष की तुलना में सकारात्मक पथ पर था। 2023–24 के दौरान, प्राथमिक राजस्व शेष अधिशेष था और ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। सकारात्मक प्राथमिक राजस्व शेष और विगत वर्ष की तुलना में घटते ऋणात्मक प्राथमिक शेष ने संकेत दिया कि ऋण एक सतत स्थिर पथ पर है।

iii राजस्व प्राप्तियों के संबंध में ब्याज भुगतान 2019–20 से 2023–24 के दौरान 8.70 प्रतिशत से 9.74 प्रतिशत के बीच था। चालू वर्ष के दौरान वे विगत वर्ष की तुलना में 0.32 प्रतिशत

अंक से बढ़ गया। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान समय के साथ कम होना चाहिए ताकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन बचे रहें। प्रभावी लागत वित्तपोषण ढाँचा राज्य को अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम बनाता है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन से ब्याज भुगतान का बोझ कम होता है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त में कहा गया है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर अथवा उधार की लागत से अधिक हो जाती है तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक हो अथवा मामूली रूप से नकारात्मक हो।

ऋण स्थिरता की स्थिति यह बताती है कि (i) यदि प्राथमिक शेष के साथ कवांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। (ii) यदि प्राथमिक शेष के साथ कवांटम स्प्रेड नकारात्मक हो तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा (iii) यदि प्राथमिक शेष के साथ कवांटम स्प्रेड सकारात्मक हो, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.46 के अनुसार, 2023–24 के दौरान, क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक था जबकि प्राथमिक शेष नकारात्मक था, हालाँकि विगत वर्ष की तुलना में सुधार हुआ था। विगत पाँच वर्षों के दौरान, 2020–21 को छोड़कर, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक ब्याज/दर स्प्रेड हुआ। इसने इस अवधि के दौरान (2020–21 को छोड़कर) क्वांटम स्प्रेड को सकारात्मक बना दिया। तथापि, विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राथमिक शेष नकारात्मक रहा। नकारात्मक प्राथमिक शेष और नकारात्मक क्वांटम स्प्रेड (2020–21 के दौरान) के परिणामस्वरूप 2020–21 और 2022–23 के दौरान ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किया गया है। शेष अवधि के लिए, ये दोनों संकेतक, समग्र रूप से, सकारात्मक रहे, जिससे ऋण स्थिरीकरण की शर्तों को पूरा किया गया।

विगत पाँच वर्षों के दौरान, राज्य ने पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपने ऋण के 80 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया। ऋण का अधिक अनुपात उत्पादकता की अपेक्षा ऋण को चुकाने के लिए उपयोग किया जाना उपयुक्त नहीं है।

(ब) डोमर मॉडल पर ऋण स्थिरता विश्लेषण

ई0डी0 डोमर (डोमर सिद्धांत 1944 में प्रकाशित हुआ था) के एक अध्ययन के आधार पर ऋण स्थिरता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दर जी0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय देनदारियों को वहनीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन देनदारियों को चुकाने में सक्षम है और ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात अप्रबंधनीय अनुपात तक नहीं बढ़ता है। डोमर मॉडल लोक ऋण के विश्लेषण के मॉडलों में से एक है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो जाती है तो ऋण–जी0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है। **तालिका 2.47** डोमर स्थिरता की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 2.47: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता मानदंड

जी–आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर), जिसे डोमर गैप कहा जाता है	एस < 0 (प्राथमिक घाटा)	एस > 0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी–आर > 0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है बशर्ते कि दर्ज प्राथमिक घाटा स्थिर हो और ऋण/जी0एस0डी0पी0 के अनुरूप हो तो ऋण टिकाऊ होता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से अधिक है बशर्ते कि प्राथमिक अधिशेष तब ऋण/जी0एस0डी0पी0 अनुपात कम हो जाएगा, और ऋण स्थिर स्तर की ओर जाता है इसलिए टिकाऊ होता है।
जी–आर < 0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक घाटा दर्ज करता है। फिर ऋण सीमाओं के बिना बढ़ता है और अस्थिर हो जाता है।	वास्तविक आर्थिक वृद्धि वास्तविक ब्याज दर से कम है और प्राथमिक अधिशेष दर्ज करती है। तब ऋण अब टिकाऊ नहीं है बशर्ते कि यह मध्यम या लंबे समय में कम न हो।

जी0एस0डी0पी0 के अनुपात के रूप में राज्य का राजकोषीय घाटा विगत पाँच वर्षों के दौरान 2019–20 में 2.53 से बढ़कर 2023–24 में 4.17 हो गया है **(तालिका 1.5 (अ))**। राज्य ने विगत पाँच वर्षों में पहली बार राजस्व अधिशेष (₹ 2,833.06 करोड़) दर्ज किया। हालाँकि, 2019–20 से 2023–24 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,733 करोड़ से ₹ 29,640 करोड़ तक था। डोमर लागू करने के बाद, विश्लेषण से पता चला कि राजकोषीय देनदारियों को स्थिर स्तर पर अभिसरण करना चाहिए, जैसा कि **तालिका 2.48** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.48: डोमर मॉडल के अनुसार राज्य का ऋण स्थिरता मूल्य

क्र0 सं0	डोमर मानदंड	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
क	जी0एस0डी0पी0 (स्थिर मूल्यों में) *(₹ करोड़ में)*	3,98,329	3,68,970	3,87,256	4,25,384	4,64,540
ख	वास्तविक विकास (स्थिर मूल्यों में)	4.44	(–) 7.37	4.96	9.85	9.20
ग	सी0पी0आई0 पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)	2.20	6.59	4.67	5.72	5.83
घ	प्रभावी ब्याज़ दर*	6.94	6.65	6.29	5.95	6.01
च	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर–मुद्रास्फीति)	4.74	0.06	1.62	0.23	0.18
छ	ब्याज वृद्धि अंतर (वास्तविक वृद्धि वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) अर्थात् डोमर गैप (जी–आर)	(–) 0.30	(–) 7.43	3.34	9.62	9.02
ज	प्राथमिक शेष *(₹ करोड़ में)*	(–) 3,733	(–) 17,343	(–) 11,729	(–) 29,640	(–) 18,054

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0)

** प्रभावी ब्याज दरः ब्याज भुगतान/विगत और चालू वित्त वर्ष के औसत बकाया ऋण (गैर–ब्याज वाली आरक्षित निधियों और जमाराशियों को छोड़कर)।*

बिहार 2019–20 से 2023–24 की अवधि के लिए एक उतार–चढ़ाव वाला (प्राथमिक घाटा (–) प्राथमिक शेष) राज्य रहा है। डोमर गैप (जी–आर) 2021–22 से 2023–24 तक विगत तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक रहा और 2019–21 की अवधि के दौरान नकारात्मक था। डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने 2019–20 और 2020–21 को छोड़कर ऋण स्थिरता (जी–आर >0) की शर्त को पूरा किया। डोमर गैप (जी–आर) ने 2020–21 से 2022 23 तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है, हालाँकि चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 9.02 हो गई है। ऋण/जी0एस0डी0पी0 2020–21 से 2023–24 के दौरान सुधार की प्रवृत्ति पर रहा है, लेकिन प्राथमिक घाटा न तो स्थिर है और न ही यह ऋण/जी0एस0डी0पी0 के अनुरूप रहा है।

राजकोषीय उपलब्धता का यह विश्लेषण अप्रत्याशित देनदारियों के प्रभाव के अधीन भी है, जो अप्रत्याशित घटनाओं और राजस्व के किसी अन्य गैर–सूचीबद्ध घाटा के कारण है। चूंकि इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है या सांख्यिकीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार को अपने ऋण और नए उधारों का प्रबंधन करते समय इन आकस्मिक देयताओं को ध्यान में रखना होगा।

राज्य को उधार लेने मुख्य रूप से निवेश उद्देश्यों के लिए और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर राजस्व व्यय का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, जो भविष्य के विकास और जी0एस0डी0पी0 विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही, राज्य को सकारात्मक प्राथमिक शेष प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार करने के लिए राजस्व खातों पर अपने अनुत्पादक व्यय, विशेष रूप से सब्सिडी, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(स) राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

वित्त आयोग की प्रतिवेदन (एफ0सी0आर0) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का विवरण **तालिका 2.49** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.49: एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

(प्रतिशत में)

राजकोषीय मानदण्ड		एफ0सी0आर0 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (–)	लक्ष्य	3.00	(–) 0.1	(–) 0.5	(–) 0.8	(–) 1.20
	उपलब्धि	0.31	1.99	0.07	1.51	(–) 0.33
राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (–)	लक्ष्य	3.00$	5.0*	4.5#	4.0#	3.5#
	उपलब्धि	2.53	5.25	3.95	6.01	4.17
कुल बकाया देनदारी का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात	लक्ष्य	25	41.20	40.20	40.80	40.40
	उपलब्धि	33.24	40.01	39.78	39.30	38.94
पिछले वर्ष के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	लक्ष्य	कोई लक्ष्य नहीं				
	उपलब्धि	4.16	13.21	19.56	16.33	16.24

(स्रोतः चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
*$ 0.25 प्रतिशत सशर्त है। *2.0 प्रतिशत सशर्त है। #0.5 प्रतिशत सशर्त है।*

राजकोषीय संकेतकों की सीमाओं के लगातार उल्लंघन से राजकोषीय स्थिति के अप्रबंधनीय होने का जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब राज्य को गारंटी मोचन निधि और अन्य जैसी सलाहकार आरक्षित निधियों की स्थापना करनी बाकी है।

(द) ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा ऋण चुकौती या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को इंगित करता है जैसा कि **तालिका 2.50** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.50: लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	ऋण की श्रेणी (₹ करोड़ में)			बकाया लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (प्रतिशत में)		
	बाजार ऋण	भारत सरकार से ऋण	कुल	बाजार ऋण	भारत सरकार से ऋण	कुल
0 – 1	20,613.55	780.22	21,393.77	8.73	2.35	7.94
1 – 3	42,102.00	1,357.63	43,459.63	17.83	4.08	16.13
3 – 5	41,459.99	1,427.83	42,887.82	17.55	4.29	15.92
5 – 7	42,583.49	1,565.35	44,148.84	18.03	4.71	16.38
7 से उपर	89,421.41	28,138.65	1,17,560.06	37.86	84.58	43.63
कुल	**2,36,180.44**	**33,269.68**	**2,69,450.12**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 2.50** से देखा जा सकता है, लोक ऋण का 60.01 प्रतिशत पाँच वर्ष बाद से देय है। राज्यों के ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा 3–5 वर्षों की चुकौती अवधि को छोड़कर इसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि का संकेत देती है।

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा से पता चलता है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 1,07,741.22 करोड़ की राशि देय है (₹ 1,04,175.54 करोड़ : बाजार ऋण और ₹ 3,565.68 करोड़ भारत सरकार से ऋण) और सरकार को तदनुसार इसके पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा। इसके अलावा, 37.86 प्रतिशत बाजार ऋण और 84.58 प्रतिशत भारत सरकार से ऋण सात वर्षों के बाद परिपक्व हो रहे हैं।

कुल परिपक्वता राशि के तहत पर्याप्त राशि (87.65 प्रतिशत) राज्य के आंतरिक ऋण से बनी है। आंतरिक ऋण का 90.79 प्रतिशत बाजार ऋणों से बना है जिसमें मुख्य रूप से राज्य विकास ऋण/बिहार सरकार स्टॉक[9] शामिल हैं।

2.7.3 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की चुकौती के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है। 2019–20 से 2023–24 के दौरान उधार ली गई निधियों का उपयोग **तालिका 2.51** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.51: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	कुल उधारी	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57	1,29,950.58	1,62,725.19
2	पूर्व के उधारी का पुनर्भुगतान (मूलधन*)	69,732.59	74,618.65	87,212.86	94,153.62	1,23,291.48
3	निवल पूँजीगत व्यय	12,303.90	18,208.60	23,678.29	31,519.82	36,453.02
4	निवल ऋण एवं अग्रिम	635.90	293.54	1,450.59	2,015.28	2,039.93
5	शेष उधार ली गई निधि (1–2–3–4)	11,520.73	15,311.52	5,185.83	2,261.86	940.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* *उधार का केवल मूलधन वाला मुख्य हिस्सा लिया गया है क्योंकि उधार पर ब्याज का हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से चुकाया जा रहा था।*

तालिका 2.51 दर्शाती है कि राज्य के कुल उधार का ज्यादातर हिस्सा (98 प्रतिशत से अधिक) पूर्व के उधार के पुनर्भुगतान और वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है। ₹ 940.76 करोड़ की राशि (वर्ष के दौरान कुल उधार का 0.58 प्रतिशत) खर्च नहीं की गई और राज्य के नकदी शेष को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया। उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ **चार्ट 2.17** में दर्शायी गयी हैं।

---

[9] *राज्य सरकार द्वारा लिए गये ब्याज सहित बाजार ऋण को संदर्भित करता है।*

चार्ट 2.17: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)

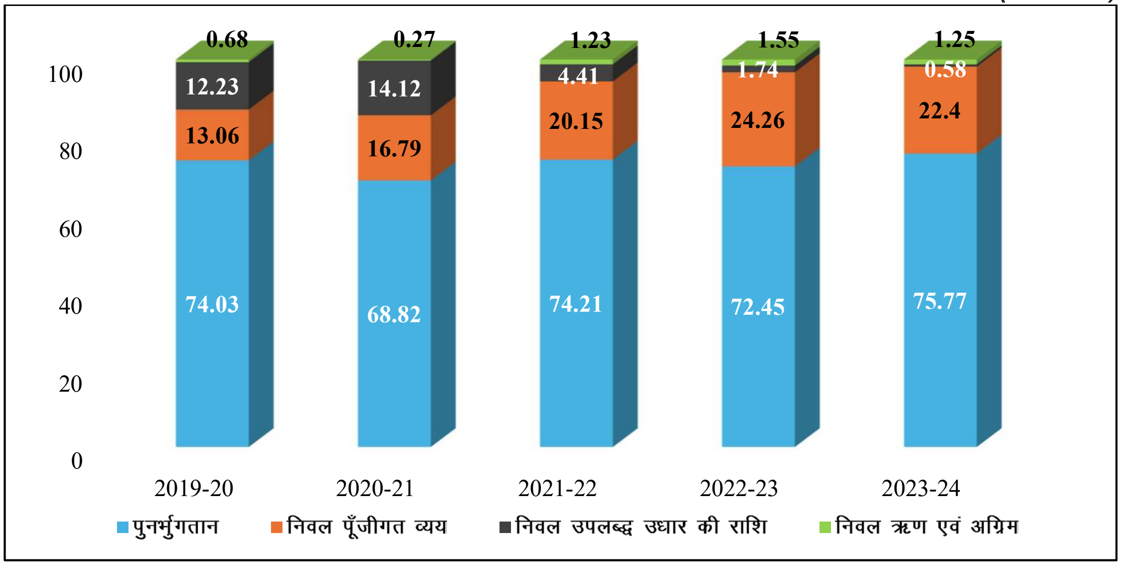

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.17 से पता चलता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य उधार का 68 प्रतिशत से अधिक पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए खर्च किया जा रहा है और चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 3.32 प्रतिशत अंक से बढ़ गया है। पिछली देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधार का उपयोग, पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए बहुत कम जगह रिक्त करता है। उधार ली गई निधियों का केवल 22.40 प्रतिशत उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया गया है और उधार ली गई निधियों का 0.58 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि राज्य के नकद शेष के हिस्से के रूप में ₹ 940.76 करोड़ की उधार ली गई निधियाँ उपलब्ध थीं, बावजूद ₹ 53.48 करोड़ खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाते हुए गैर–बजट उधार के रूप में लिया गया है।

2.7.4 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में जिसके लिए गारंटी दी गई है, गारंटी राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं। एस0पी0एस0ई0 को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को गारंटी मोचन निधि का सृजन करना था और चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि का अंशदान करना था।

एस0पी0एस0ई0 ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर प्रति वर्ष 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विगत पाँच वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ **तालिका 2.52** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.52: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	**21,181.52**	**25,113.74**	**37,631.92**	**40,897.18**	**51,682.79**
जी0एस0डी0पी0	5,81,855	5,67,814	6,47,394	7,46,417	8,54,429
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	1,58,798	1,72,688	1,93,347
राजस्व प्राप्ति के अनुसार गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	17.05	19.59	23.70	23.68	26.73
जी0एस0डी0पी0 से गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	3.64	4.42	5.81	5.48	6.05
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	**5,484.56**	**16,407.71**	**25,069.78**	**25,939.25**	**28,040.96**
राजस्व प्राप्ति से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	4.41	12.80	15.79	15.02	14.50
जी0एस0डी0पी0 से ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	0.94	2.89	3.87	3.48	3.28

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि ₹ 51,682.79 करोड़ (मूलधनः ₹ 50,424.66 करोड़ और ब्याजः ₹ 1,258.13 करोड़) थी। इसके अलावा, राज्य ने वर्ष 2023–24 के लिए अपने बजट अनुमानों में ₹ 21,501.95 करोड़ की सरकारी गारंटी का अनुमान लगाया है।

2023–24 के दौरान, राज्य ने ₹ 28,040.96 करोड़ (मूलधनः ₹ 26,715.26 करोड़ और ब्याजः ₹ 1,325. 70 करोड़) की गारंटी विस्तारित की, जो ₹ 21,501.95 करोड़ के बजट अनुमानों से अधिक थी।

वर्ष 2023–24 में ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि ₹ 28,040.96 करोड़ थी, जिसमें उर्जा (₹ 18,164.73 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 303.89 करोड़), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (₹ 9,417.62 करोड़), बिहार राज्य भंडारण निगम (₹ 89.47 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (₹ 34.42 करोड) और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (₹ 30.83 करोड़) शामिल थे। 31 मार्च 2024 तक कुल बकाया गारंटी का 64.78 प्रतिशत हिस्सा उर्जा क्षेत्र की थी, और विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान गारंटी का एक बड़ा हिस्सा भी बनाया।

चार्ट 2.18 2023–24 के लिए बकाया गारंटी का प्रतिशत हिस्सा दर्शाता है।

चार्ट 2.18: गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत हिस्सा

(प्रतिशत में)

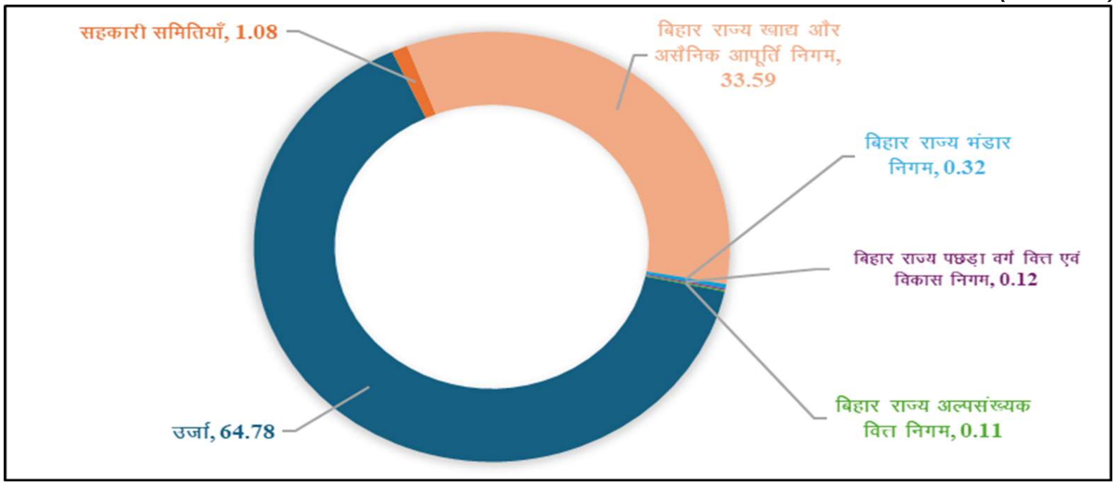

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने डिस्कॉम को वित्तीय संस्थानों से उधार के लिए पर्याप्त गारंटी प्रदान की। यह देखते हुए कि राज्य सरकार गारंटर है, ये परिणामी आकस्मिक देनदारियाँ बड़े बकाया ऋण और डिस्कॉम के बढ़ते/निरंतर घाटे के कारण राज्य वित्त के लिए जोखिम है।

आई0जी0ए0एस0–1 के खंड 2 के अनुसार, कंपनियों को सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के लिए गारंटी कमीशन या शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए अधिकतम गारंटियाँ प्रदान की हैं। तथापि, बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को छोड़कर उर्जा क्षेत्र के सी0पी0एस0ई0 अथवा गैर–उर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 से कोई शुल्क/कमीशन प्राप्त नहीं हुआ। विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार ने गारंटी शुल्क की प्राप्य राशि ₹ 100.77 करोड़ (1/8 प्रतिशत की दर से) के मुकाबले केवल ₹ 3.17 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त की। वर्ष 2023–24 के दौरान, बिहार खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से ₹ 7.75 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्य था।

2.8 नकद शेष राशि का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य को ₹ 1.73 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है तो समय–समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर इस कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के लिए डब्ल्यू0एम0ए0 की सीमा को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से, यह सीमा ₹ 2,272.00 करोड़ है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकदी शेष को भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में लघु और दीर्घकालिक निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को मुख्य शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियाँ' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष को समेकित निक्षेप निधि और गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बढ़ी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले, जिससे उपलब्ध नकदी को उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद शेष में और वृद्धि हो। नकद शेष और नकद शेष निवेश खातों में उनके निवेश का विवरण क्रमशः **तालिका 2.53** तथा **तालिका 2.54** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.53: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरंभिक शेष	अंत शेष
	01 अप्रैल 2023	**31 मार्च 2024**
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकदी	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशियाँ	805.90	726.68
अन्य बैंकों के साथ जमाराशियाँ	0	0
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	0	0
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	14,069.82	26,762.09
कुल (अ)	**14,875.72**	**27,488.77**

विवरण	आरंभिक शेष	अंत शेष
	01 अप्रैल 2023	31 मार्च 2024
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	233.22
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	765.46	765.53
निर्धारित निधियों में निवेश	7,028.12	8,494.66
कुल (ब)	**8,028.23**	**9,493.41**
कुल (अ+ब)	***22,903.95***	***36,982.18***
ब्याज प्राप्तियाँ	276.23	264.34

(स्रोतः वर्ष 2023–24 के लिए वित्त लेखे)

'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा' शीर्ष के तहत शेष राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेनदेन से संबंधित अंतर–सरकारी मौद्रिक निपटान को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को 11 अप्रैल 2024 तक की सलाह दी गई है।

तालिका 2.53 इंगित करता है कि:

i. राज्य ने नियमित आधार पर एक बड़ा नकद शेष बनाए रखा, जबकि उसी समय यह राजकोषीय घाटा वाला राज्य था।

ii. 2023–24 के दौरान, राज्य ने भारत सरकार और अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में किए गए ₹ 26,762.09 करोड़ के निवेश पर ₹ 264.34 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

iii. सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोई अग्रिम लिए बिना भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹ 1.73 करोड़ का आवश्यक नकद शेष बनाए रखा।

iv. विगत वर्ष की तुलना में आर0बी0आई0 के साथ जमा राशि में ₹ 79.22 करोड़ की कमी आई।

2019–20 से 2023–24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखे का विवरण **तालिका 2.54** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.54: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+)/कमी (–)	अर्जित ब्याज
2019–20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020–21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021–22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70
2022–23	22,070.25	14,069.82	(–) 8,000.43	276.23
2023–24	14,069.82	26,762.09	12,692.27	264.34

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2023–24 के दौरान, नकद शेष निवेश लेखे के शेष राशि में ₹ 12,692.27 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2019–20 से 2023–24 तक के वर्षों के लिए नकद शेष निवेश लेखे में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए वर्षवार बाजार ऋणों की तुलना **चार्ट 2.19** में की गई है।

चार्ट 2.19: बाजार ऋण की तुलना में नकद शेष

(₹ करोड़ में)

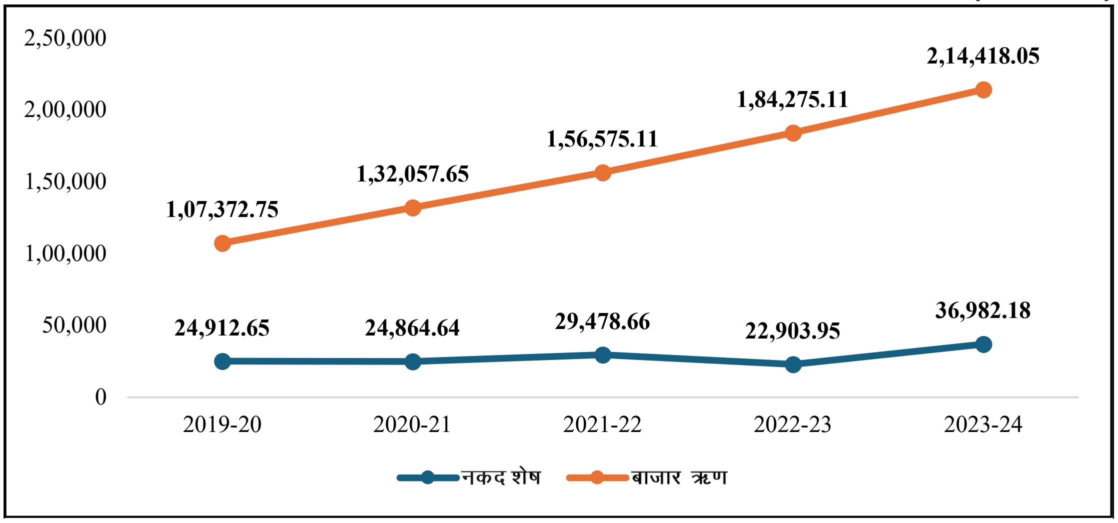

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य नकद शेष (₹ 36,982.18 करोड़) की सीमा तक बाजार उधार से बच सकता था। ₹ 36,982.18 करोड़ के नकद शेष में ₹ 26,762.09 करोड़ का नकद शेष निवेश शामिल था। 2023–24 के दौरान इन निवेशों पर ₹ 264.34 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में माह–वार निवेशित रोकड़ शेष की तुलना में उपलब्ध रोकड़ शेष **चार्ट 2.20** में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.20: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और निवल नकद शेष निवेश का माह–वार संचालन

(₹ करोड़ में)

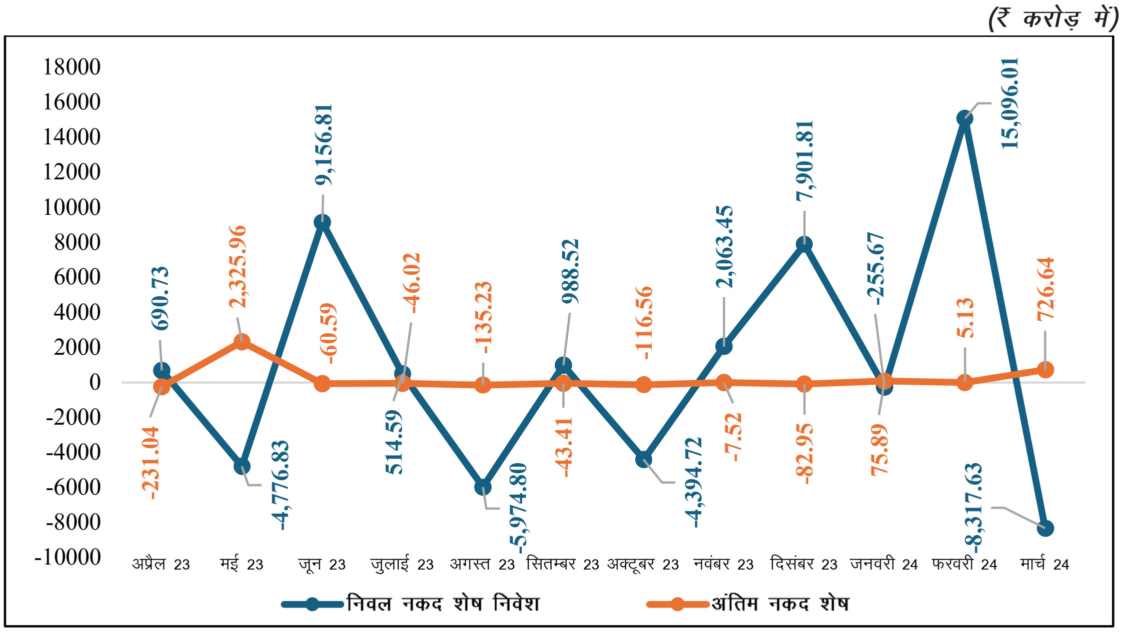

(स्रोत: वर्ष 2023–24 के लिए मासिक सिविल लेखे)

एक सकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' ट्रेजरी बिल (टी0बी0) (एमएच 8673) में निवेश को दर्शाता है, जबकि एक नकारात्मक 'निवल नकद शेष निवेश' इंगित करता है कि सरकार ने महीने के दौरान परिपक्वता या छूट के माध्यम से टी0बी0 से सरकारी लेखे में वापस जमा किया था।

चार्ट 2.20 दर्शाता है:

i. मई 2023, अगस्त 2023, अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के महीनों के दौरान नकद शेष निवेश खाते से महत्वपूर्ण बड़ी निकासी हुई, जिसके परिणामस्वरूप खाते में ऋणात्मक शेष हो गया। इन महीनों के दौरान कुल ₹ 23,463.98 करोड़ की राशि सरकारी लेखे में वापस जमा की गई थी।

ii. जून 2023, दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के महीनों में केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से और भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में निधियों का प्रमुख हिस्सा (₹ 32,154.63 करोड़) प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप इन महीनों में नकद शेष निवेश खाता एक सकारात्मक बन गया।

2.9 निष्कर्ष

i. जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता 2022–23 में (–) 0.57 से बढ़कर 2023–24 में 0.83 हो गया। जी0एस0डी0पी0 के संदर्भ में राज्य का अपना राजस्व उत्प्लावकता भी 2019–20 में 0.09 से बढ़कर 2023–24 में 0.78 हो गया। ओ0टी0आर0 जुटाने में राज्य का प्रदर्शन पंद्रहवे वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर था और बजट अनुमानों के करीब था।

ii. राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 20,659 करोड़ (11.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में ₹ 6,537.95 करोड़ (3.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य ने स्व–राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 11.35 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

iii. विगत वर्ष की तुलना में कुल प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 7,174.89 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। ब्याज भुगतान (9.11 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2022 में निर्धारित राजस्व प्राप्तियों के 8.64 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन पंद्रहवे वित्त आयोग (₹ 16,724 करोड़) के अनुमान से नीचे था।

iv. सब्सिडी राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.40 प्रतिशत, राज्य के स्व–राजस्व का 30.30 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 1.90 प्रतिशत थी। यह भी विगत वर्ष की तुलना में 9.70 प्रतिशत अधिक था।

v. पूँजीगत व्यय (₹ 36,453.02 करोड़) बजट अनुमान (₹ 29,257.31 करोड़) से 24.59 प्रतिशत अधिक था।

vi. बकाया समग्र देनदारियाँ 13.44 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थीं और 2022–23 से 2023–24 तक ₹ 2,93,307.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,32,740.90 करोड़ हो गईं। विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र बकाया देयताओं में 14.53 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है।

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन, जो सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के लिए प्रमुख मानदंड हैं, नीचे दर्शाए गए हैं

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुमान की सीमा के भीतर था	गारंटी मोचन निधि का सृजन न करना
	'राजस्व के बकाया' के लंबित मामले
	उपकरों का कम हस्तांतरण
	वित्त आयोग की सिफारिश से परे आकस्मिक देनदारियों का सृजन

2.10 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग:

i. बजट तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक आँकड़ों के बीच लगातार बन रहे अंतर को पाटा जा सके।

ii. राजस्व की बकाया राशि का शीघ्रता से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्यों पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सके।

iii. यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है जो यह सुनिश्चित करे कि अधूरी परियोजनाओं से संबंधित संपूर्ण सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार को उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में राज्य के वित्त लेखे के माध्यम से एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

iv. ऋणों की पुनर्संरचना कर सकती है, ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ जाए।

v. बोर्ड को श्रम उपकर का पूर्ण अंतरण सुनिश्चित कर सकती है ताकि कामगारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके।